सोमवार,
१७ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, १७ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक सवा ग्यारह बज समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सेना का शिल्पिक कर्मचारीवृन्द

*३५३. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे यदि यह सत्य है कि सेना में शिल्पिक कर्मचारीवृन्द, विशेषकर विद्युतीय तथा यांत्रिक इंजीनियरों की कमी है ?

(ख) ऐसे कर्मचारीवृन्द के प्रशिक्षण के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, पर कमी केवल पदाधिकारियों की है।

(ख) पदाधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिये यह उपाय किये गये हैं :

(१) अशिल्पिक विभागों में से शिल्पिक अर्हता वाले पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देकर शिल्पिक संस्तबकों में स्थानान्तरित किया गया है।

(२) देहरादून में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यापीठ से सामान्यतः जिस संख्या में नियमित पदाधिकारी शिक्षा पा कर निकलते हैं उस का वर्धित अभ्यंश शिल्पिक संस्तबकों को बंटन किया जाता है ; हां, यह योग्य अभ्यर्थियों की प्राप्यता पर निर्भर है।

(३) प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यापीठ में एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिये २० से २७ वर्ष की आय वाले यान्त्रिक स्नातकों का संवरण किया जाता है । इस प्रशिक्षण की पूर्ति पर उन को स्थायी नियमित कमीशन दिया जाता है । देश में योग्य पुरुषों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि छांटे गये यान्त्रिक स्नातकों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यापीठ में प्रशिक्षण की कालावधि के लिये अस्थायी अल्पकालीन नियमित कमीशन दिया जाये । यदि उन के पास अपेक्षित अर्हता हो, तो स्थानीय नियमित कमीशन मिलने पर उन को यह कमीशन दो वर्ष पहले की इसी तिथि से दिया गया माना जा सकता है। इन दो वर्षों की कालावधि में अस्थायी अल्पकालीन नियमित कमीशन की अवधि भी सम्मिलित है।

(४) २० से ४० वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थियों को ७ या १० वर्ष के लिये अल्पकालीन नियमित कमीशन दिया जाता है। छांटे गये अभ्यर्थियों को अल्पकालीन नियमित कमीशन मिलने से पहले राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यापीठ में ६ मास के लिये

प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ऐसे पदाधिकारियों को स्थायी नियमित कमीशन भी मिल सकता है यदि वे अन्यथा उसके पात्र हों।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित कौन कौन सी ऐसी संस्थायें हैं जहां अपेक्षित कर्मचारी-वृन्द को प्रशिक्षण दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं ने पहले कहा, उन को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यापीठ में प्रशिक्षण मिलता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या केवल यह एक विद्यापीठ अपेक्षित कर्मचारीवृन्द के प्रशिक्षण के लिये तथा वर्तमान कमी को उचित समय में पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

सरदार मजीठिया : हम ने इस विद्या-पीठ को इसी अभिप्राय से चालू किया है और आशा है कि यह पर्याप्त रहेगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार कुछ उद्योगपतियों को अपेक्षित कर्मचारीवृन्द के प्रशिक्षण का काम सौंपने की परामर्शता पर विचार करेगी ?

सरदार मजीठिया : सम्भवतः इस विषय में कुछ गलतफ़हमी है। इन स्नातकों को शिल्पिक ज्ञान होता है और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यापी में इन को सैन्य-राज्यसेवाओं से सम्बन्धित कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय मंत्री का ध्यान मुख्य सेनापति की संवाददाताओं के साथ उस मुलाकात की ओर आकर्षित हुआ है जिस में उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि उद्योगपति ऐसे कर्मचारीवृन्द को प्रशिक्षण देने के रूप में सेना की सहायता करेंगे ?

सरदार मजीठिया : मेरी दृष्टि में यह बात नहीं आई है। सम्भवतः इसका सम्बन्ध प्रादेशिक सेना से था।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं यदि एम० ई० एस० में कुछ छंटाई हुई ह ?

सरदार मजीठिया : इस बात का हमारे समक्ष प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी इसी बात पर आश्चर्य हो रहा था।

श्री सारंगधर दास : क्या म जान सकता हूं यदि सेना के लिये यान्त्रिक स्नातकों के विषय में आज प्रातः समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया विज्ञापन इसी सेना विभाग से सम्बन्धित है ?

सरदार मजीठिया : मैंने यह विज्ञापन नहीं देखा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं यदि किसी उद्योगपति ने इन यान्त्रिक स्नातकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सहयोग दिया है ?

सरदार मजीठिया : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न भी कैसे उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं यदि किसी उद्योगपति से इस विषय में सहयोग की मांग की गई थी।

सरदार मजीठिया : मुझे इस बात का कुछ ज्ञान नहीं।

श्री टी० एस० ए० चट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल अर्हता क्या होनी चाहिये—डिप्लोमा या डिग्री ?

सरदार मजीठिया : डिग्री।

नौकरी से मुक्त किये गये सैनिक कर्मचारी-वृन्द के पुनर्वास के लिये भूमि

*३५४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि वचनानुसार, उत्तर प्रदेश, भोपाल, मैसूर, मद्रास, बम्बई, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य, पंजाब तथा तिरुवांकुर-कोचीन की सरकारों ने नौकरी से मुक्त किये गये सैनिक कर्मचारीवृन्द के पुनर्वास के लिये भूमि दी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जी हां। केवल दो राज्यों—बम्बई तथा पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य—ने अभी नहीं दी है क्योंकि वहां भूमि उपनिवेशन की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक इस भूमि पर कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वासन किया गया है ?

सरदार मजीठिया : उनकी संख्या ४३२ है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इन भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या सहायता दी गई है ?

सरदार मजीठिया : उनको ऋण दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त, योजना यह है कि इस भूमि का विकास सरकार द्वारा किया जायेगा और फिर पुनर्वास के लिये यह भूमि भूतपूर्व सैनिकों को दी जायेगी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को इन भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में, कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, मैं ने पहले ही कहा कि दी जाती है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह वही सैनिक हैं जिनको दूसरे महायुद्ध के उपरान्त नौकरी से मुक्त किया गया था या कि वह जो १९५० में राज्यों के एकीकरण के फलस्वरूप मुक्त किये गये ?

सरदार मजीठिया : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रानी नामक वन राजि में जो १५०० एकड़ की वन भूमि भूतपूर्व तिरुवांकुर-कोचीन राज्य सेना के कर्मचारीवृन्द को दिये जाने के लिये रखी गई थी वह अभी तक उनकी नहीं दी गई है ? क्या सरकार ने इस विषय में कुछ जांच की है ?

सरदार मजीठिया : हां, श्रीमान्। यह ठीक है कि रानी नामक राजि में १५०० एकड़ भूमि है जिसको कृषि-योग्य बनाकर भूतपूर्व सैनिकों के बीच बांटा जायेगा।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार के पास दक्षिण भारत के त्रिचिनापली ज़िले से कोई ऐसी फ़रयाद आई है कि भूतपूर्व सैनिकों में बंटन की गई कुछ भमि उनको नहीं दी गई है ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास तो कोई फ़रयाद नहीं आई है, पर मैं पूछ ताछ करूंगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार को किसी ऐसी स्थिति की जानकारी है जहां भूतपूर्व सैनिकों से पुनर्वास के लिये बंटन की गई भूमि के लिये नाम मात्र थोड़ा सा मूल्य मांगा गया है ?

सरदार मजीठिया : नहीं, श्रीमान् । ऐसा नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

कोरिया में भारतीय रणक्षेत्र आहतोपचारिका

*३५५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि दिसम्बर १९५० में कोरिया भेजी गई ६०वी भारतीय रणक्षेत्र आहतोपचारिका इकाई को छुड़ाने के लिये एक नई भारतीय रणक्षेत्र आहतोपचारिका वहां भेजी गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो ६०वीं इकाई के सैनिकों के भारत पहुंचने की कब आशा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं। ६०वीं भारतीय रणक्षेत्र आहतोपचारिका इकाई को छुड़ाने का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह रणक्षेत्र इकाई दक्षिण कोरिया में किस रूप में कार्य-सम्पादन कर रही है ? क्या राष्ट्र-मंडलीय सेना-विभाग से इसका कुछ सम्बन्ध है ?

सरदार मजीठिया : यह संयुक्त राष्ट्र की सेना की एक रणक्षेत्र इकाई के रूप में काम करती है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं यदि इस इकाई के सैनिकों में से कोई घायल हुये हैं और यदि हुए हैं तो कितने ?

सरदार मजीठिया : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि इस इकाई के उत्तर कोरिया भेजे जाने की अनुमति कभी मांगी गई थी ?

सरदार मजीठिया : इसके सम्बन्ध में भी मुझे पूर्वसूचना चाहिये । यह बात प्रश्न से संलग्न नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक इस इकाई पर कितना व्यय हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है ।

सरदार मजीठिया : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है ।

श्रीमती रेनुका चक्रवर्ती : इस बात के दृष्टिगोचर कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कोरिया का झगड़ा सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्या भारतीय रणक्षेत्र आहतोपचारिका इकाई को कोरिया से वापस बुलाने की प्रस्थापना नहीं की जा रही है ?

सरदार मजीठिया : जैसे कि मैं ने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा, इस समय मेरे लिये इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर विदेशी मामलों के मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

'नवरत्न' का भू- परिमाप

*३५६. **डा० राम सुभग सिंह** : शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के डुमराव थाने के अन्तर्गत भोजपुरा ग्राम में स्थित 'नवरत्न' की खुदाई करवाने की दृष्टि से भू-परिमाप करवाया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के०डी० मालवीय): नहीं, श्रीमान् । परन्तु पुरातत्व विभाग के

मध्यवर्ती केन्द्र के अधीक्षक को इस स्थान का निरीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जायेगा ।

अपराधविज्ञान तथा अपराधी सुधार

*३५७. **डा० राम सुभग सिंह**: (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के अपराधविज्ञान तथा अपराधी सुधार विशेषज्ञ, डा० डब्लयू सी० रैक्लैस, भारत में कितने समय के लिये थे ?

(ख) उनके भारत में ठहरने की कालावधि में उनकी सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) २१ अक्तूबर, १९५१ से लेकर १७ अगस्त, १९५२ तक डा० रैक्लैस भारत में थे?

(ख) इस देश के कारागार प्रशासन के सम्बन्ध में स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के अभिप्राय से भारत के कुछ महत्वपूर्ण कारागारों का दौरा करने के पश्चात उन्होंने कारागार पदाधिकारियों के लिये बम्बई के टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साईंसिज में अपराधविज्ञान तथा अपराधी सुधार सम्बन्धी एक पाठ्यक्रम चलाया । उन्होंने बम्बई में उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा मद्रास राज्य के परीक्षण-अधिकारियों के एक सम्मेलन में भी भाग लिया जिस में भारत में चालू परीक्षण प्रणाली पर विचार किया गया और इसके सुधार के लिये सिफारिशें की गईं। उन्होंने बम्बई में १३ मार्च १९५२ से १५ मार्च १९५२ तक कारागारों के महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भी प्रमुख भाग लिया ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या डा० रैक्लैस ने देश में बढ़ते हुए अपराधों की विभीषिका के कारणों को हटाने के लिये किन्हीं उपायों का सुझाव दिया ?

श्री दातार : जी हां, उन्होंने भारत को दिये गये अपने प्रतिवेदन में इस विषय पर भी लिखा है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने भारत सरकार को क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री दातार : प्रतिवेदन का अनुयोग किया जा रहा है ओर सम्भवतः इसको प्रकाशित किया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को इन सिफारिशों को परिपालन करने का विचार है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह अपराधविज्ञान के किस भाग में विशेषज्ञ हैं और उनकी विशेष योग्यतायें क्या हैं ?

एक माननीय सदस्य : रैक्लैसनैस (निश्शंकता) ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री दातार : वह ओहयो राज्य विश्वविद्यालय के सामाजिक प्रशासन स्कूल में अपराधविज्ञान तथा अपराधी सुधार के प्रोफेसर हैं । वह परीक्षण, पेरोल तथा अपराधी सुधार के कर्मचारियों के शिक्षा-क्रम के कार्यवाहक हैं । संयुक्त राज्य में उन्होंने अपराधी सुधार सम्बन्धी पहले विस्तृत शिक्षा-क्रम का निर्माण किया है । उन्होंने अपराध तथा अपराध सुधार सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकें तथा लेख लिखे हैं ।

अपराधी सुधार साहित्य की नवीनतम पुस्तक जो डा० रैक्लैस ने लिखी है उसका नाम "अपराध समस्या" है और यह १९५० में लिखी गई है ।

आयुध कारखानों का कर्मचारीवृन्द

*३५८. **श्री एस० एन० दास** : क्या रक्षा मंत्री ११ जून १९५२ को पूछे गये मेरे

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ को दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि आयुध कारखानों में नौकर असैनिक कर्मचारियों के वर्तमान वेतन अनुक्रम का अनुयोग करने के लिये बनाई गई जांच समिति ने तब से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि किया है, तो क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया है और कोई निश्चय किया है; तथा

(ग) समिति ने क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और सिफारिशें की हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

(ग) सिफारिशों के संक्षेप के स्थान पर सारे प्रतिवेदन को प्रकाशित करना उचित नहीं समझा गया है । इस समय प्रतिवेदन छपाया जा रहा है और माननीय सदस्य से यह प्रार्थना है कि इस के प्रकाशन की प्रतीक्षा करें ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं यदि समिति के नियुक्त किये जाने के पश्चात् इस की निर्देश्य शर्तें बढ़ाई गई थीं और यदि बढ़ाई गई थीं तो किस हद तक ?

सरदार मजीठिया : निर्देश्य शर्तें बदली नहीं गई थीं ।

श्री ए० के० बसु : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि जांच की विचाराधीनता की अवधि में बहुत संख्या में आयुध कर्मचारियों की छंटाई की गई थी ?

सरदार मजीठिया : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ?

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान, क्या यह सच है कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि प्रतिवेदन की विचाराधीनता की अवधि में कोई छंटाई नहीं होनी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः उनको पूर्वसूचना चाहिये ।

वियोजित सैनिक

*३६०. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **रक्षा** मंत्री उन सैनिकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन को अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्यों के एकीकरण के फलस्वरूप, तिरुवांकुर-कोचीन राज्य सेना में से वियोजित किया गया है ?

रक्षा उपमत्री (सरदार मजीठिया) : ३५ पदाधिकारी, तथा १,११७ जे० सी० ओ० और अन्य श्रेणियों के सैनिक ।

श्री वी० पी० नायर : उन के सैन्यवियोजन के मुख्य कारण क्या थे ? क्या उनको तब वियोजित किया गया जब वह भारतीय सेना में भारतीय सेना कर्मचारियों की हैसियत से काम करते थे ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान, बहुत से कारण हैं । पहला यह कि उनकी अपेक्षा नहीं थी और दूसरा यह कि वह योग्य नहीं थे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि उनके सैन्यवियोजन के पश्चात भारतीय सेना में कितने सैनिक भर्ती किये गये ?

सरदार मजीठिया : यह आंकड़े बतलाना लोकहित के अनुकूल नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार इनको भी पुनर्वास की सामान्य सुविधायें दे सकी है ?

सरदार मजीठिया : उनको, योग्यता के अनसार कुछ प्रतिकर दिया गया है ।

श्री एन० एस० नायर: क्या सरकार यह जानती है कि तिरुवांकुर-कोचीन उच्च-न्यायालय में समादेश का प्रस्ताव किये जाने के समय इस के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आदेश को स्थगित किया गया था और समादेश की विचाराधीनता की अवधि में राष्ट्रपति ने इन व्यक्तियों का सैन्यवियोजन का आदेश दिया ?

सरदार मजीठिया: मेरे विचार में यह बात सच नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह: हो सकता है कि नये भर्ती किये गये सैनिकों की संख्या बताना लोकहित के अनुकूल न हो। परन्तु क्या हम जान सकते हैं यदि इन वियोजित कर्मचारियों में से किसी को पुनः भर्ती किया गया ?

सरदार मजीठिया: जैसा मैंने पहले कहा, केवल उन व्यक्तियों को भर्ती किया गया जो योग्य पाये गये, औरों को नहीं।

श्री वी० पी० नायर: जब कि तिरुवांकुर-कोचीन राज्य सेना का भारतीय सेना के साथ एकीकरण किया गया है, तो क्या यह आवश्यक नहीं कि भूतपूर्व तिरुवांकुर-कोचीन सेना को भी पुनर्वास की वही सुविधायें दी जायें ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। आप युक्ति दे रहे हैं।

बीजापुर का भूतत्वीय परिमाप

*३६१. **श्री आर० जी० दुबे**: (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि बम्बई राज्य के बीजापुर जिले की खनिक सम्पत्ति का कभी विस्तार-पूर्वक भूतत्वी परिमाप किया गया है ?

(ख) यदि किया गया है, तो क्या यह सच है कि मालाप्रभा नदी के नितल में सोना पाया गया, बागलकोट तालुका में खजी-दोनी के निकट तांबे के चिन्ह पाये गये और कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित जिले के कई क्षेत्रों में आयस अयस्क तथा लोहक अयस्क प्रर्याप्त मात्रा में प्राप्य हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि बिजापुर ज़िले में बिल्गी के स्थान पर कई प्रकार कि मुल्यमान पत्थर, विशेषकर गुलाबी रंग की कणाश्म (ग्रेनाइट) जो सुन्दरता में उच्चतम ऐबर्डीन या मांऊंट सोरेल कणाश्य के बराबर हैं– और हरे रंग के कणस्फटीपूम (डियोरिटिक स्टोन) जिनकी चमक शताब्दियों तक खराब नही होती, प्राप्त हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग)। भारतीय भूतत्वीय परिमाप विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किये गये परिमाप के फल स्वरूप प्राप्त की गई जानकारी एक विवरण के रूप में सदन पटल पर रखी गई है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८**]

श्री आर० जी० दुबे: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह परिमाप कब किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं आपको ठीक समय तो नही बता सकता, परन्तु परिमाप विस्तारपूर्वक पूरा किया गया है।

श्री आर० जी० दुबे: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस परिमाप के परिणामों पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इन अनुसन्धानों का परिणाम यही दिखाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से इन खनकों का शोषण करना लाभकारी नहीं रहेगा।

श्री आर० जी० दुबे : क्या यह सच है कि छोटे स्तर पर आयस अयस्क का विकास किया जा सकता है ? यदि ऐसी सम्भावना है तो क्या सरकार का इस विषय में कुछ कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान, जहां तक आयस अयस्क का सम्बन्ध है, कुटीर अद्योग के स्तर पर एक आयस अयस्क-द्रावण का कारखाना खोला जा सकता है। इस विषय में अग्रेतर अनुसन्धान किया जायेगा।

पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में स्थिति

*३६३. **डा० रामा राव** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि उन्होंने हाल ही में पेप्सू राज्य संघ का दौरा किया ?

(ख) क्या सारे राज्य में किसानों ने भूस्वामियों के विधान-राहित्य के सम्बन्ध में अभिवेदन किया ?

(ग) क्या उन्होंने वास्तविक किसानों से या उन के प्रतिनिधियों से भूस्वामियों के अत्याचार के सम्बन्ध में स्वयं प्रतिवेदन प्राप्त किये ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)। मैंने बहुत सारे प्रतिनिधि मंडलों से बात चीत की, ग्रामों का लम्बा दौरा किया और किसानों तथा भूस्वामियों से एक दूसरे के प्रति बहुत सी शिकायतें सुनीं।

डा० रामा राव: श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार ने वेनकटाचार समिति के उस प्रतिवेदन को विचार में रखा है, जिस में बताया गया है कि सारे राज्यों में किसान और बिस्वादार एक दूसरे पर गम्भीर आरोप लगाते हैं ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र ने मुझे से अपने दौरे के विषय में प्रश्न पूछा, वेनकटाचार प्रतिवेदन के विषय में नहीं।

डा० रामा राव : यह समिति भारत सरकार ने नियुक्त की थी।

अध्यक्ष महोदय : जैसे भी हो, प्रश्न तो उनके अपने दौरे के सम्बन्ध में है।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री ने उनके पास की गई शिकायतों को शान्तिमय दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

डा० काटजू : मैंने स्थिति के विषय में अपना विचार बना लिया और मुख्य मंत्री तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को साधारण आदेश दिए कि वे शान्ति ओर सुव्यवस्था स्थापित रखने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करें। जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, मैं सदन को जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक १६ वर्ष का युवक किसान देखा, जिसके हाथ में गोली आई थी और इस हाथ को काटा गया था। दूसरी ओर मैं ने एक बिस्वादर की विधवा को देखा जो मेरे पैरों पर पड़ी और जिसके पति को किसानों ने गोली से मारा था।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में इस प्रश्न को बढ़ाने में कोई लाभ नहीं। हम

अगला प्रश्न लेते हैं। इस विषय के लिए लम्बा अनुसन्धान चाहिये और प्रश्नों द्वारा इसका अनुसरण करना उचित भी नहीं।

संयुक्त राज्य शिल्पिक सहयोग प्रशासन के सह-प्रशासक

*३६४. **श्री नानादास** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि संयुक्त राज्य शिल्पिक सहयोग प्रशासन के सह-प्रशासक भारत आये थे या आने वाले हैं?

(ख) उनके यहां आने का क्या अभिप्राय है?

(ग) भारत सरकार की ओर से उन से कौन मिले?

(घ) क्या भारत सरकार ने उनसे संयुक्त राज्य अमरीका में शिल्पिक सहायता प्राप्त करने के बारे में कोई अभिवेदन किया?

(ङ) यदि किया तो किस प्रकार का?

(च) उन्होंने इस अभिवेदन का क्या उत्तर दिया?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां, श्रीमान्। वह सेप्टेम्बर १९५२ में भारत आये थे।

(ख) कहा जाता है कि वह नई दिल्ली में स्थित शिल्पिक सहायता के प्रधान कार्यालय के सामान्य प्रशासनीय निरीक्षण के अभिप्राय से आये थे।

(ग) केवल अनियमित बातचीत को छोड़ उन्होंने भारत सरकार के पदाधिकारियों अथवा प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत नहीं की।

(घ) से (च) तक। उत्पन्न नहीं होते।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता कि शिल्पिक सहायता प्रशासन के अन्तर्गत भारत में कितने अमरीकी विशेषज्ञ अथवा पदाधिकारी काम कर रहे हैं; उन पर कुल कितना व्यय होगा और उस का भार किस पर है?

श्री बी० आर० भगत: मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री नाना दास : इस शिल्पिक कर्मचारी वृन्द की विशेष योग्यता क्या है? क्या भारत में इन योग्यताओं वाले कर्मचारी प्राप्य नहीं?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान् यह एक बहुत लम्बा प्रश्न है और मुझे इसके लिए पूर्वसूचना चाहिए।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार के पास इस कर्मचारिवृन्द द्वारा भारत में आकर प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की जांच पड़ताल करने के लिए कोई उपाय हैं?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मेरे विचार में यह संलग्न प्रश्न नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेते हैं।

विदेशों को भेजे गए विद्यार्थी

*३६५. **डा० रामा राव**: (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि औद्योगिक तथा वैज्ञानिक गवेषणा परिषद् ने हाल ही म छात्रवृत्तियां देकर विदेशों को भजने के लिए कुछ विद्यार्थियों का संवरण किया है?

(ख) यदि किया है, तो वह विद्यार्थी कौन हैं, उन की योग्यतायें क्या हैं और किस प्रक्रिया के आधार पर उनका संवरण किया गया था?

(ग) इन छात्रवृत्तियों का अनुदान कौन करता है और किन योजनाओं के अन्तर्गत इन का अनुदान किया जाता है ?

(घ) इन विद्यार्थियों को किन अनुसूचित विश्वविद्यालयों में अध्ययन करना है और किन विषयों का ?

(ङ) विदेशों से लौटने पर उनका कैसे उपयोग किया जायगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ङ) तक । मांगी गई जानकारी के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया है । संख्या पी–७५/५१ देखिये**]।

डा० रामा राव : क्या सरकार शिल्प-प्रशिक्षार्थ, विशेषकर भारी उद्योगों के लिए, लोगों को विदेश भेजने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो क्रिया का सुझाव देता है । अच्छा है यदि माननीय सदस्य प्रश्नों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में नियमों को दो या तीन बार फिर से पढ़ें, क्योंकि मैं देखता हूं कि हम अधिक संख्या में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते जिन द्वारा जानकारी प्राप्त हो सके जो कि सदन के लिए वास्तविक रूप में लाभदायक होगी । यदि एक प्रश्न पूछने के साथ ही युक्ति दी जाए और युक्ति के स्वभाव वाले प्रश्न पूछे जायें तो वह ग्राह्य नहीं । साथ ही क्रिया के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं । इस अभिप्राय से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें और न ही नियमानुसार ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है । मैं अनुभव करता हूं कि अध्यक्ष की ओर से थोड़ी सी अदृढ़ता के कारण ऐसे प्रश्नों को शायद प्रोत्साहन मिलता है । मैं इस से अग्रेतर इस विषय से सम्बन्धित नियमों का कड़ा पालन करूंगा । माननीय सदस्यों का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछ कर जानकारी प्राप्त कर लें । प्रश्न अवसर तो केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए है, और प्रश्नों द्वारा अपने भाव प्रकट करने के लिए इस का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । एक प्रश्न इस दृष्टिकोण से सुसंगत होना चाहिए ।

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में आप से एक विनय है और वह यह कि जितने प्रश्न आते हैं तो उन में कोई अभिप्राय तो ज़रूर रहता है । तो अगर उस की व्याख्या इस तरह से इतनी दूर तक की जायगी तब तो आप के लिए कोई भी प्रश्न लेना मुश्किल हो जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ऐसे क्वश्चन्स जो आते हैं, इतने सब क्वश्चन्स मैं ने अलाउ किए हैं । वास्तव में सदस्यों को चाहिए कि वे जानकारी प्राप्त करें जिस के आधार पर कि वे अपनी अपनी राय बनाएं और पहले ही अपनी राय लेकर प्रतिपरीक्षण का प्रयत्न न करें । यही सदस्यों के लिए उचित प्रक्रिया है जिसका कि उन को पालन करना चाहिए ।

श्री वैलायुधन : क्या हमारे प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारी राय प्रकट नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि राय स्पष्ट रूप में प्रकट की जाये तो मैं ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री नम्बियार : क्या मैं इस विषय पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हम ने देख लिया है कि माननीय मंत्री ने किस प्रकार के उत्तर दिए हैं और हम जानते हैं कि सदन उनसे क्या कुछ जान सकता है। इस का अनुसरण करने से कोई लाभ नहीं।

श्री नम्बियार तथा श्री वी० पी० नायर खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

गत विश्वयुद्ध में भारतीय सेना के कारणामों का इतिहास

*३६६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि गत विश्वयुद्ध म भारतीय सेना के कारणामों के इतिहास का दूसरा खन्ड अब प्रकाशित हुआ है ; तथा

(ख) यदि ऐतिहासिक विभाग भारतीय सेना ी युद्धौत्तर कारणामों का भी इतिहास लिखेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क; दूसरे विश्वयुद्ध के शासकीय इतिहास का कोई भी खण्ड प्रकाशित नहीं हुआ है। दो छापे जा रहे हैं और अन्य खण्डों का संकलन हो रहा है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सम्मिलित अन्तर सेना विभागीय ऐतिहासिक विभाग कब बनाया गया था और यदि उस समय हाथ में लिये गये सारे पदों पर काम चालू है ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, दीख पड़ता है कि माननीय सदस्य अब दूसरे विषय की ओर निर्देश करते हैं। सम्मिलित अन्तर सेना-विभागीय ऐतिहासिक विभाग को यह कार्य सौंपा गया था और वह इसको कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा है, अभी कोई भी ग्रन्थ खण्ड प्रकाशित नहीं हुआ है। जिस दूसरी पुस्तक की ओर माननीय सदस्य निर्देश करते हैं वह तो एक साधारण इतिहास की पुस्तक है जिसके लिखने का काम १९४५ में तत्कालीन सरकार ने, जिस में हमारा कोई हाथ न था, श्री काम्पटन मैकंज़ी नामक एक व्यक्ति को सौंपा था।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं यदि ऐतिहासिक विभाग भारत और पाकिस्तान के संयुक्त संघटन के रूप में काम कर रहा है ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, यह सच है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस इतिहास के किस भाग में आज़ाद हिन्द फौज के कारणामे लेख्यगत किये जायेंगे या किये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : जहां कहीं भी आज़ाद हिन्द फौज ने अंग्रेज़ी फौजों से लड़ा उनका वर्णन किया गया है ?

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह ऐतिहासिक विभाग कितने समय के लिय चालू रहेगा और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

सरदार मजीठिया : अभी काम जारी है और जब यह समाप्त होगा, इस विभाग को बन्द कर दिया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं यदि प्रकाशन से पूर्व सारी सामग्री की छानबीन कर के इसका अनुमोदन किया जायेगा ; और यदि किया जायगा तो किस अभिकरण द्वारा ?

सरदार मजीठिया : हमारे पास पहले ही एक समिति है जिस के प्रधान रक्षा सचिव हैं और जो इस विषय में छानबीन कर रही है और करती रहेगी।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं यदि माननीय मंत्री द्वारा निर्देशित रचयिता, अर्थात् श्री काम्पटन मैकंज़ी का लिखा हुआ भारतीय सैनिक कारणामों का इतिहास रक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : रक्षा विभाग ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर रहा है और न ही इस विषय में कोई वाग्बद्धता है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऐतिहासिक मंडल के सदस्यों का कैसे भर्ती किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह जानना चाहते हैं कि समिति कैसे बनाई जाती है और सदस्यों को क्या योग्यता होती है।

सरदार मजीठिया : श्रीमान, कोई नई भर्ती नहीं होती है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि इनको भूतकाल में कैसे भर्ती किया जाता था, इनकी क्या योग्यता होती थी और इनको किस आधार पर इस काम के लिये योग्य समझा जाता था।

अध्यक्ष महोदय : पर यह तो पुराना इतिहास है और इन बातों में पड़ने का कोई लाभ नहीं।

श्री बी० पी० नायर : यदि यह लोक-हित के विरुद्ध न हो, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन पुस्तकों के प्रकाशित किये जाने तक इस कार्य पर कुल व्यय कितना होगा ?

सरदार मजीठिया : ३२ ग्रन्थ-खण्ड प्रकाशित किये जाने हैं। माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि यह एक लम्बा कार्य है जिस में काफी समय लगेगा। मैं इस के विषय में अभी आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं।

भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास

*३६७. **श्री एस० सी० सामान्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करके इस का इतिहास लिखने के लिये प्रस्तावित शिक्षा मंडल अब तक नियुक्त किया जा चुका है ;

(ख) यदि किया गया है, तो मंडल के सदस्य कौन हैं; तथा

(ग) इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख)। भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का संकलन करने के लिये एक सम्पादक-मंडल नियुक्त किया जा रहा है और इस के सम्बन्ध में शीघ्र ही घोषणा की जायेगी।

(ग) संसद् सदस्य, श्री एस० एम० घोष को प्रस्तावित सम्पादक मंडल का अवैतनिक सचिव नियुक्त किया गया है और उन्होंने कार्य आरम्भ किया ही है।

श्री एस० सी० सामान्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि आज़ाद हिन्द फ़ौज ने जो स्ट्रग्ल किया उस को इस में स्थान दिया जायेगा या नही, अगर दिया जायेगा तो उस की खबर जोड़ने के लिये कोई बन्दोबस्त किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): अवश्य दिया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या हर एक स्टेट से खबर जोड़ने के लिये कोई सब-कमेटी बनाई जायेगी ?

मौलाना आज़ाद: यह सम्पादक-मंडल का कार्य है कि वह विनिश्चय करे कि किस किस कार्य के लिये क्या करना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त: इस बजट में इस काम के लिये कितना रुपया मुकर्रर किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: इस वक्त इस के लिये डेढ़ लाख रुपया है और आगे के साल के लिये डेढ़ लाख रुपया तजवीज़ किया गया है ।

अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*३७०. **श्री ईश्वर रेड्डी**: (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में होगा ?

(ख) यदि होगा, तो कब और कहां और इस को कौन प्रवर्तित कर रहे हैं ?

(ग) सम्मेलन में किन किन पदों पर चर्चा की जायेगी ?

(घ) किन किन देशों को इस में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जा रहा है ?

(ङ) क्या सम्मेलन में मुख्य रूप से केवल गोष्ठियां होंगी या कि प्रत्येक देश की वास्तविक अनुभावों पर भी चर्चा की जायेगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री श्री के० डी० मालवीय: (क) से (ङ) तक । सदन पटल पर विवरण रखा हुआ है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९**] ।

श्री ईश्वर रेड्डी: सदन पटल पर रखे हुए विवरण में बताया गया है कि सम्मेलन में प्रत्येक देश के वास्तविक अनुभवों पर भी विचार किया जायेगा । सोवियत संघ तथा चीन की सरकारों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमन्त्रित नहीं किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो देशों के निरक्षरता का अन्त करने के अनुभवों पर किस प्रकार इस सम्मेलन में विचार किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: यह सम्मेलन यूनेस्को द्वारा बुलाया गया है और केवल इस संघटन के सदस्यों को आमन्त्रित किया गया है । और उन देशों को, जो यूनेस्को के सदस्य नहीं, इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया है और इस कारण उनके अनुभव सम्मेलन में प्राप्य नहीं होंगे ।

श्री ईश्वर रेड्डी: यह भी बताया गया है कि अन्य क्षेत्रों से ४ विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की हैसियत से इस सम्मेलन में भाग लेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि यह परामर्शदाता कौन हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: यूनेस्को के महासंचालक आमन्त्रण भेज रहे हैं और मैं इस बात से सूचित नहीं कि यह परामर्श-दाता कौन हैं ।

श्री ईश्वर रेड्डी: क्या मैं उस भारतीय मंडल के सदस्यों की संख्या जान सकता हूं जो इस सम्मेलन में भाग लेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: इस देश के सात प्रतिनिधियों को सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया गया है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : उनके नाम क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम यह हैं :—

(१) श्री डी० आर० एन० डीसाई, बम्बई के शिक्षा मंत्री—मंडल के नेता ।

(२) श्री एम० वी० कृष्णा राव, मद्रास के शिक्षा मंत्री ।

(३) श्री नाना भाई के० भट्ट, भूतपूर्व सौराष्ट्र के शिक्षा मंत्री जो अब आम्बला ग्राम दक्षिण–मूर्ति के मुख्य नियमक हैं ।

(४) डा० डी० एम० सेन, पश्चिमी बंगाल सरकार के शिक्षा सचिव ।

(५) श्री काज़मी, शिक्षा संचालक, काश्मीर ।

(६) श्री जे० पी० नायक, सचिव, शिक्षा संस्था, बम्बई ।

(७) श्री के० जी० सैयदैन, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय ।

श्री ईश्वर रेड्डी : इस बात के दृष्टि-गोचर कि वाईट नाम के वाईट मिन्ह क्षेत्र में साक्षरता ९८ प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाई गई है । क्या सम्मेलन वाईट-मिन्ह सरकार के निरक्षरता हटाने के सम्बन्ध में अनुभवों पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : इस सम्मेलन का एक उद्देश्य यह भी है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये अर्थ व्यवस्था के साधन निकाले जायें । क्या मैं जान सकती हूं कि उन देशों के सम्बन्ध में सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहेगा जहां अभी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है ही नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो सम्मेलन का काम है । और मेरे समक्ष जो पत्र हैं उनसे पता चलता है कि वह इन मामलों के अनुसन्धान के लिये एक कमीशन नियुक्त कर रहे हैं ।

हैदराबाद में दंगा

*३७१. **श्री वैलायुधन :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि भारत सरकार को हैदराबाद में मुल्की-आन्दोलन के सम्बन्ध में हुये दंगा फसाद की जानकारी प्राप्त हुई है; तथा

(ख) यदि हुई है, तो क्या इस दंगा फसाद को दबाने के लिये सेना का उपयोग किया गया था ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार को पता चला है कि यह दंगा होने के क्या कारण थे ?

डा० काटजू : राज्य मत्रालय ने हैदराबाद सरकार से इस सूचना की मांग की है । यह तो राज्य सरकार का ही मामला है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं पूछ सकता हूं यदि सरकार यह जानती है कि यह विशेष आन्दोलन इस कारण उत्पन्न हुआ कि बाहर से कुछ लोग भेजे गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! आप सुझाव दे रहे हैं । विवरण में दिये गये उत्तर से पता चलता है कि यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है ।

श्री एन० श्री कंठण नायर : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में, क्या ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं यक्ति नहीं देना चाहता।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या हदराबाद सरकार ने सैनिक सहायता की मांग की ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है 'नहीं'।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं यदि हैदराबाद सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सैनिक सहायता की मांग की थी जो अस्वीकार हो गई ?

डा० काटजू : सैनिक मांगे गये थे। वह वहां उपस्थित रहै, पर उन्होंने किया कुछ नहीं।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूँ यदि यह सच है कि हैदराबाद राज्य के मुख्य मंत्री से लेकर पुलिस के उप-अधीक्षक तक, सब पदाधिकार पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर गोली चलाये जाने और उनको मारने के सम्बन्ध में अपनी अज्ञता प्रकट कर रहै हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि गौली चलाये जाने के फलस्वरूप कितने व्यक्ति मर गये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री के पास इस विषय में कोई जानकारी है ?

डा० काटजू : मेरे पास है, परन्तु, मैं सदन को इस बात से सूचित करना चाहता हूं कि जांच की जा रही है और इस समय इस विषय को हाथ में लेना उचित नहीं।

राष्ट्रीय कादेत्-गुल्म प्रशिक्षण (कादेत् पदाधिकारी)

*३७२. **श्री बाल्मीकी :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के रेस कोर्स प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली, में राष्ट्रीय कादेत्-गुल्म प्रशिक्षण के सम्बन्ध में शिक्षा संस्थाओं से बुलाये गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रशिक्षण कालावधि कितनी है ; तथा

(ग) प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) नई दिल्ली के भारती वायु सेना केन्द्र में बम्बई, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों से १९ अध्यापकों को पूर्व-आज्ञप्ति प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) दो मास।

(ग) उनको वायु सेना सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण दिया गया।

श्री बाल्मीकी : सरकार को इस ट्रेनिंग के देने में कितना व्यय करना पड़ा ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास व्यय सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य उत्सुक हों तो मैं उनको निस्सन्देह सारी जानकारी दे सकता हूं यदि वह मुझे मिलें।

श्री बाल्मीकी : कितने लोग ट्रेनिंग के लिये आये और हर एक ट्रेनिंग पर कितना व्यय हुआ ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, मैं ने कहा १९ व्यक्ति। मेरे पास भिन्न २ राज्यों के सम्बन्ध में आंकडे नहीं हैं।

श्री बाल्मीकी : ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जब यह आफिसर अपने अपने एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन में लड़कों को ट्रेनिंग देंगे तो क्या सरकार उन को धन की कोई सहायता देगी ?

सरदार मजीठिया : नियमानुसार जो कुछ भी उनको मिलना चाहिये, उन्हें दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अभिप्राय यह है कि क्या सरकार अग्रेतर प्रशिक्षार्थियों को सहायता देगी जब कि यह लोग प्रशिक्षण विद्यालय खोलेंगे ? क्या सरकार के पास प्रशिक्षण विद्यालयों को सहायता देने की कोई योजना है ?

सरदार मजीठिया : प्रशिक्षार्थियों के लिये नहीं।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री का उत्तर सुन कर मुझे पता चला कि मद्रास और तिरुवांकुर-कोचीन उन राज्यों में नहीं हैं जहां से व्यक्तियों को चुना गया है। क्या मैं जान सकता हूं यदि मद्रास तथा तिरुवांकुर-कोचीन को अपवर्जित करने का कोई विशेष कारण है ?

सरदार मजीठिया : किसी भी राज्य के प्रति अनुवरणात्मक व्यवहार नहीं किया गया है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर व्यक्ति चुने गये हैं ?

सरदार मजीठिया : योग्यता के।

श्री के० के० बसु : इस भर्ती के लिये न्यूनतम अपेक्षायें क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, जैसे मैं ने कहा, यह बात चौपतिया में बताई गई है। यदि माननीय सदस्य देखने का कष्ट करें, उनको सारी जानकारी मिलेगी।

नये अलीपुर में क्षेत्रों का अधिग्रहण

*३७३. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि १९४२ में या इस वर्ष के निकट, कलकत्ता के उपनगर, नये अलीपुर में एक विशाल क्षेत्र का सके स्वामी, हिन्दुस्थान सहयोगी बीमा समिति (सीमित), से सरकार के रक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया ;

(ख) यदि सरकार यह जानती है कि अधिग्रहण किये जाने से पूर्व ही इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे प्लाट बहुत से क्रेताओं के नाम नियत कर दिये गए थे जिन में से अधिकांश लोग मध्य-वर्ग के थे ; तथा

(ग) यदि सरकार जानती है, तो क्या इन नियतभागियों को गृह-निर्माण का कार्य आरम्भ करने में रुकावट न डालने के अभिप्राय से इस सारे क्षेत्र के व्याधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि की जा रही ह, तो क्या कार्यवाही ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९४२ में रक्षा के प्रयोजनों के लिये हिन्दुस्थान सहयोगी बीमा समिति के स्वामित्व वाली ८३ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ख) भारत सरकार के पास इस विषय में कोई लेख्य नहीं है, परन्तु प्राप्त हुए अभिवेदनों से पता चलता है कि इस भूमि के स्वामी ने इस क्षेत्र के छोटे छोटे प्लाट नियत किये थे।

(ग) अधिग्रहीत ८३ एकड़ में से २८·७१ एकड़ पहले ही व्याधिग्रहीत किए

हैं। शेष क्षेत्र के कुछ भाग में पहली जुलाई १९४८ से पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्ति रहते हैं और कुछ भाग रक्षा विभाग के पास है। विस्थापित व्यक्तियों को वहां से हटाना इस कारण सम्भव नहीं हुआ कि राज्य सरकार उनके रहने के लिये दूसरा स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। रक्षा विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले भाग को वैकल्पिक अधिवास प्राप्त होने के साथ ही खाली किया जायेगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी: उत्तर के दृष्टिगोचर, क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं यदि पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्तियों को—जिन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने इस विशेष क्षेत्र पर आधिपत्य जमाया है—कोई वास्तविक सुविधा प्राप्त हुई है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं यदि सरकार मध्यवर्गीय नियतभागियों से सम्बन्धित इस क्षेत्र की भूमि को खाली कराने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

सरदार मजीठिया: यह तो स्पष्ट ही है कि वहां रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को सुविधा प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र को खाली कराने का काम बंगाल सरकार के हाथ है, भारत सरकार के नहीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या मैं जान सकता हूं यदि विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अपने आधिपत्य में रखे गये क्षेत्र की देख भाल का उत्तरदायित्व बंगाल सरकार पर है ?

सरदार मजीठिया: बंगाल सरकार...

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में यह प्रश्न पुनर्वास मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये, रक्षा विभाग से नहीं।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं यदि केन्द्रीय सरकार कम से कम इस भूमि क्षेत्र को, जब भी सम्भव हो, पहले स्वामियों के नाम पुनः नियत करने का विचार रखती है ?

सरदार मजीठिया: उचित समय पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री के० के० बसु: क्या यह सच है कि वह भूमि भाग जो विस्थापित व्यक्तियों के आधिपत्य में है, पश्चिमी बंगाल की सरकार के हाथ दिया गया है ?

सरदार मजीठिया: यह बात सच नहीं। यह भूमि अब भी भारत सरकार के हाथ है।

ग्राम अर्थव्यवस्था

*३७४. **श्री एम० आर० कृष्ण**: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम अर्थव्यवस्था का निष्पादन करने के अभिप्राय से भारत के रक्षित बैंक ने अपने कार्यसम्पादन को किस हद तक विस्तृत कर दिया है ?

(ख) इन प्रत्यय सम्बन्धी सुविधाओं के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले ग्रामों की संख्या क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) रक्षित बैंक के ग्राम प्रत्यय सम्बन्धी कार्य सम्पादन में प्रगत्यात्मक विस्तार का यह प्रमाण है कि इस द्वारा राज्यों के सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले अग्रिम धन तथा उधार की कुल राशि, जो १९४६-४७ में साढ़े इकत्तीस लाख रुपये थी, १९४८-४९ में बढ़ कर छः करोड़ बाईस लाख बीस हज़ार रुपये बन गई और १९५१-५२ में १२ करोड़ ५१ लाख ३३ हज़ार रुपये हो गई।

ग्राम अर्थव्यवस्था सम्बन्धी रक्षित बैंक की कार्यकारिता का संक्षिप्त वर्णन रक्षित

बैंक के केन्द्रीय संचालक मंडल के ३० जून १९५२ को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन के ४५ से ५२ तक के पैराओं में दिया है। इसकी प्रतिलिपि संसद् पुस्तकालय में प्राप्य है।

(ख) रक्षित बैंक द्वारा अग्रिम धन तथा उधार सहकारी शिखर बैंकों को दिया जाता है, ज़िला या प्राथमिक संस्थाओं को नहीं। इस कारण यह बताना सम्भव नहीं कि रक्षित बैंक द्वारा दी गई प्रत्यय सुविधाओं के फलस्वरूप जिन ग्रामों को लाभ हुआ है उनकी संख्या क्या है।

एम० आर० कृष्ण : क्या बम्बई तथा मद्रास में कोई अन्य बैंक भी हैं जिनको रक्षित बैंक द्वारा अग्रिम धन दिया गया है ?

श्री **एम० सी० शाह** : जी हां, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा अजमेर-मेरवाड़ा में। अन्य राज्यों में कुछ और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की व्यवस्था की जा रही है।

निर्वाचन याचिकायें

*३७५. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत निर्वाचन के उपरान्त निर्वाचन अधिकरणों द्वारा विन्यास की गई निर्वाचन याचिकाओं की संख्या कितनी है ; तथा

(ख) संसद् तथा राज्य विधान-मंडल सम्बन्धी निर्वाचन-क्षेत्रों के विषय में इस समय लम्बित निर्वाचन याचिकाओं की संख्या कितनी है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : (क) १० नवम्बर, १९५२ तक निर्वाचन अधिकरणों द्वारा २१ याचिकाओं का विन्यास किया गया है।

(ख) लम्बित याचिकाओं की कुल संख्या २९५ है। इन में से ३१ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं और २६४ राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं उन व्यक्तियों के नाम पूछ सकता हूं जिन को स्थानच्युत कर दिया गया है ?

श्री बिश्वास : यह प्रश्न का एक भाग था जिस को अमान्य कर दिया गया। क्या मेरे से इस का उत्तर देने की अपेक्षा की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह जानकारी सरकारी सूचना पत्र से सरलता से प्राप्य है। नाम प्रकाशित किये गये हैं।

श्री के० के० बसू : क्या भारत में चालू अधिकरणों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री बिश्वास : मैं इस प्रश्न का उत्तर ज़बानी नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जा चुका है।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं यदि इन मुकदमों के कि ी विशेष अधिकरण द्वारा विन्यास किये जाने के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित कर दी गई है ?

श्री बिश्वास : नहीं श्रीमान्। वास्तव में एक अधिकरण के पास कई मुकदमे भेजे जा सकते हैं। इन मुकदमों की अपेक्षाओं के अनुसार उनको अपना कार्यक्रम बनाना पड़ता है।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम : कितनी निर्वाचन याचिकायें स्वीकार की गई हैं ?

श्री बिश्वास : स्थानच्युत सदस्यों के विषय में जो मेरे पास जानकारी है, उसके दृष्टिगोचर मैं अनुमान लगा कर कह सकता हूं कि सात याचिकायें स्वीकार हुई हैं।

मनीपुर में बाढ़

*३७६. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में हाल ही के बाढ़ से कितने क्षेत्र में और कितनी मात्रा में क्षति हुई है ;

(ख) खेतो में फसल की कितनी क्षति हुई है ;

(ग) कितने मकान बाढ़ के कारण गिर गये;

(घ) कितनी संख्या में लोग बेघर हो गए;

(ङ) सरकार द्वारा क्या सहायता अब तक दी गई है; तथा

(च) यदि सरकार दुर्प्रभावित लोंगों को धन के रूप में सहायता देने का विचार रखती है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (च) तक. लगभग ४०,००० एकड़ भूमि, जिस पर फसल उगा हुआ था, हाल ही के बाढ़ में पानी के नीचे थी । ८५ झोपड़ियां नष्ट हुईं बताई गई थीं । बेघर हुए लोगों के सही आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, परन्तु उन में से अधिकांश अपने बान्धवों के पास शरणस्थान प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं । तात्कालिक उपाय उसी समय किए गए थे । दुर्प्रभावित लोगों में खाद्य-पदार्थ बांटे गए और सरकार ने अब तक सहायता के रूप में ७,००० रुपया व्यय किया है । इस विषय के सम्बन्ध में मुख्यायुक्त से पूर्ण प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

श्री एल० जे० सिंह : माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने सदन में कल बताया कि ४,००० मन चावल मनीपुर के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए वहां भेजे गए थे । क्या मैं जान सकता हूं कि इस क्षेत्र के बाढ़ से दुर्प्रभावित लोगों में चावल के बदले मकई क्यों वितरित की गई थी ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिए । मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इस मास के अन्त में मुझे मनीपुर जाने का विचार है । मैं वहां जाकर इस प्रश्न की भी जांच करने का प्रयत्न करूंगा और दुर्प्रभावित लोगों को सहायता देने के सम्बन्ध में भी जांच करके जो कुछ मुझ से हो सकता है, करूंगा ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं यदि मनीपुर की सरकार ने बाढ़ से दुर्प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए भारत सरकार से ५०,००० रुपये कृषि-उधार की मांग की थी ?

डा० काटजू : मुझे स प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री एल० जे० सिंह : इस राज्य में पुनः पुनः बाढ़ आने की अवस्था को रोकने के लिए सरकार को क्या उपाय करने का विचार ह ?

डा० काटजू : मुझे इस बात का ज्ञान नही ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं यह निर्दिष्ट कर सकता हूं कि ऐसे मामले में

जब कि इतनी हानि हुई है और सहायता की आवश्यकता है मंत्री द्वारा प्रत्येक प्रश्न के विषय में यह कहना कि वह पूर्वसूचना चाहते हैं एक आश्चर्यजनक बात है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को देखना चाहिए कि सहायता देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । सम्भवतः एक आन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और माननीय मंत्री दूसरे प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इस अवस्था में मैं नहीं समझ सकता कि वह और क्या कह सकते हैं । हमें विपरीत-भावात्मक दृष्टि-कोण नहीं अपनाना चाहिए ।

नेपाल-दार्जिलिंग सीमान्त पर सैनिक चौकियां

*३७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज़िला दार्जिलिंग में अवांछनीय अंशों के प्रवेश को रोकने के लिए नेपाल-दार्जिलिंग सीमान्त पर कितनी सैनिक चौकियों स्थापित कर दी गई हैं ;

(ख) १९५२ में जनवरी से सेप्टेम्बर तक के महीनों में बिना पारपत्र दाखिल होने वाले अपराधियों की संख्या क्या थी ; तथा

(ग) १९५१ में तत्स्थानी संख्या क्या थी ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ५ ।

(ख) तथा (ग), दो देशों के बीच यातायात का विनियमन पारपत्र प्रणाली द्वारा नहीं होता । इस कारण बिना पारपत्र दाखिल होने के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता । साधारण कानून के अन्तर्गत अपराधियों की संख्या यह थी :

१९५२ में जनवरी से सेप्टेम्बर तक १८
१९५१ में २३

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हू कि यह अवांछनीय व्यक्ति किन किन देशों के हैं और किस रास्ते से आये हैं ?

श्री दातार : वह नेपाल, भूटान और तिब्बत से आये थे ।

श्री एस० सी सामान्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि यह सच है कि जैसे समाचारपत्रों में बताया गया है, सात चौकियां स्थापित कर ली गई हैं ?

श्री दातार : कुल पांच चौकियां स्थापित कर ली गई हैं जिन में से तीन पश्चिमी बंगाल की सरकार ने की हैं और दो भारत सरकार ने ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने लोग पकड़े गये जिन के पास प्रतिषिद्ध वस्तुएं थीं और उनके प्रति क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दातार : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन अवांछित व्यक्तियों को बन्दी बनाकर इनके प्रति क्या कार्यवाही करती है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नम्बियार : यह अवांछित अंश कौन हैं ? उनके लक्षण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम अब अगला प्रश्न लेते हैं ।

पुनर्वास वित्त व्यवस्थान

*३७९. **श्री गिड़वानी** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि यह सच है कि लगभग ५० प्रतिशत विस्थापित लोगों ने, जिनको पुनर्वास वित्त व्यवस्थान द्वारा व्यापार अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उधार अनुदान किये गये थे, इन उधारों के अंशांश नहीं लौटाये हैं;

(ख) यदि ऐसी स्थिति है, तो क्या पुनर्वास वित्त व्यवस्थान तथा इसके मन्त्रणादाता मंडल ने इस स्थिति पर विचार करके संयुक्त रूप में सरकार से कुछ ऐसी सिफारिशें की हैं जिन में यह सुझाव दिया गया है कि उधार वापस लिये जाने की कालावधी बढ़ाई जाये और इन पर लिये जाने वाले ब्याज के दर में कमी की जाये; तथा

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और यदि किया है तो वह क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) यह ठीक है कि जिन लोगों ने पुनर्वास वित्त व्यवस्थान से उधार लिये हैं उन में से थोड़ों ने नियमित तिथियों पर अंशांश लौटाये हैं।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया है और पया लौटाने की कालावधि को १० वर्ष से बढ़ा कर १५ वर्ष रखना स्वीकार किया है। पुनर्वास वित्त व्यवस्थान अधिनियम, १९४८, का आवश्यक संशोधन करने के लिये एक संशोधन विधेयक है जिस को संसद् के चालू अधिवेशन में ही प्रस्तुत किये जाने का विचार है। ब्याज के दर में कमी करने के विषय में दूसरा सुझाव स्वीकार्य नहीं पाया गया।

श्री गिड़वानी : क्या सरकार, मन्दी की अवस्था के दृष्टिगोचर, इस ब्याज के दर में कमी करना आवश्यक नहीं समझती ? इतना ब्याज देना तो उनके सामर्थ्य से बाहर है।

श्री एम० सी० शाह : यह सम्भव नही, क्योंकि व्यवस्थान आत्मावलम्बी होना चाहिये।

श्री गिड़वानी : क्या ऋणियों के लिये मन्दी की अवस्था में इतना ज्यादा ब्याज-दर देना सम्भव है ?

श्री एम० सी० शाह : दर ज्यादा नहीं। छः प्रतिशत ब्याज दर लिया जाता है और इस में से भी एक प्रतिशत छूट की जाती है यदि अंशांश नियत समय पर दिया जाये।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं उन व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं जिन को मंजूर किया गया पूरा उधार नही दिया गया अपितु इस में से वह राशि काटी गई जो मकान के किराये तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उनसे देय थी।

श्री एम० सी० शाह : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

क्रीड़ांगण

*३८०. **श्री के० के० बसु** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे यदि केन्द्रीय सरकार ने बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास के क्रीड़ांगण बनाने की लागत में कुछ अंशदान किया ?

(ख) क्रमशः प्रत्येक संस्था को कितना कितना दिया गया ?

(ग) क्या ऐसे अंशदान के कुछ विशिष्ट निबन्धन हैं और यदि हैं तो क्या ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

श्री के० के बसु : क्या क्रीड़ा का प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से विभिन्न केन्द्रों में क्रीड़ांगण स्थापित करने के लिये सरकार कोई अंशदान करने का विचार रखती है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान् ।

आतिथ्य नियम

*३८१. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के विषय में उनके दौरे पर होने के समय कुछ आतिथ्य नियम लागू होते हैं ?

गृहकार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : जी नहीं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार यह उचित समझती है कि मंत्री दौरे पर उन व्यक्तियों के अतिथि बन कर रहें जिन को सरकार के साथ कारबार का सम्बन्ध हो ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह अपनी अपनी राय का प्रश्न है । कुछ लोग इसको आपत्तिजनक समझ सकते हैं और कुछ लोग नहीं ।

श्री के० के० बसु : हमको सरकार की राय जाननी चाहिये ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मंत्रियों को इस बात की अनुज्ञा प्राप्त है कि वह दौरे पर किसी ऐसे व्यक्ति के पास अतिथि बन कर ठहरें जिन के द्वारा सरकार के कारबार के सम्बन्धों पर प्रभाव डाले जाने की सम्भावना हो ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मंत्रियों द्वारा स्थानीय संसद् सदस्यों को अपने दौरे का कार्यक्रम भेजा जाना प्रथात्मक है ?

श्री दातार : कार्यक्रम स्थानीय सरकारों को भेजे जाते हैं और कभी कभी स्थानीय संसद् सदस्यों को भी ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : कभी कभी ही क्यों ? हर बार क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह क्रिया का सुझाव है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं यदि श्री गोरवाला द्वारा इस सम्बन्ध में योजना आयोग को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे कुछ शब्द बोलने की आज्ञा हो । ऐसे विषयों के सम्बन्ध में विशिष्ट नियम बनाने में प्रत्यक्ष कठिनाइयां हैं । परन्तु, माननीय सदस्य के प्रश्न का रूप देख कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्रियों को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे कि ऐसा प्रभाव पड़े कि सरकार के साथ कारबार करने वाला कोई पक्ष या दल इन से कोई लाभ उठा सकता है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी एक विभाग की ओर से, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, सारे सदस्यों को यह विशेष सूचना मिली

थी कि सरकार के एक मंत्री कलकत्ता के एक बड़े सेठ के यहां ठहरे हुये थे और उन का पता एक विशेष सेठ की मारिफ़त था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत–पाकिस्तान डाकघर लेनदेन

*३६२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि पाकिस्तान के साथ डाक घर लेनदेन, भविष्य निधि लेखों, बचत-बैंक तथा निवृत्ति–वेतन लाखों के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

(ख) यदि नहीं तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). बचत–बैंक तथा पोस्टल सर्टिफिकेटों के बारे में यह समझौता हुआ था कि दो देशों के बीच बचत–बैंक का स्थानान्तरण ३१ मार्च, १९४९ तक अनुमत हो और पोस्टल सर्टिफिकेटों का ३० जून, १९४९ तक। जिन लोगों ने स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना पत्र इन तिथियों तक नहीं दिये उन को सम्बन्धित देश से सामान्य रीत्यानुसार भुगतान की मांग करनी होगी।

भविष्य निधि लेखों तथा निवृत्ति-वेतन के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है इस के अन्तर्गत अस्थायी रूप में उन विस्थापित केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के कर्मचारियों और राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को देनगी होती है जो विभाजन से पूर्व निवृत्त हुये थे और जिन्होंने ३१ मार्च १९५१ से पूर्व प्रव्रजन किया। यह देनगी इस शर्त पर होती है कि जिस भी सरकार या स्थानीय संस्था पर इस निवृत्ति–वेतन अथवा भविष्य निधि की ज़िम्मेवारी हो उस से यह रुपया बाद में वापस लिया जायेगा। अन्तिम देनगी, पड़ताल करने के पश्चात्, दोनों सरकारों की केन्द्रीय दावा संस्थाओं द्वारा होती है। हां, इस व्यवस्था में उन विभाजित प्रांतों के कर्मचारी शामिल नहीं, जिन्होंने अपनी २ पृथक् व्यवस्था की है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग

*३६८. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी प्रश्नावली परिचारित की है ?

(ख) यदि की है तो इस प्रश्नावली का प्रयोजन क्या है ?

(ग) यह किन को भेजी गई है ?

(घ) क्या इस प्रश्नावली की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना अज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोजन यह है कि देश भर के शिक्षा विशेषज्ञ तथा शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों की, आयोग द्वारा अनूसन्धान किये जाने वाले विषयों पर राय ली जाये।

(ग) प्रश्नावली का विस्तृत परिचारन किया गया है। यह उन राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को भेजी गई जिन के नाम राज्यों, मुख्य शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाओं, अध्यापकों, शिक्षा सम्बन्धी संघटनों, संसद् सदस्यों तथा प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञों ने सुझाये थे।

(घ) प्रश्नावली की प्रति सदन पटल पर रखी हुई है। [पुस्तकालय में रखी गई है। संख्या पी०—७६/५२ देखिये]

अन्दमान में माध्यमिक शिक्षा

*३६९. **श्री राधवय्या :** (क) क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे यदि अन्दमान द्वीप से यह अभिवेदन किया गया है कि वहां की माध्यमिक शिक्षा को सुधारा जाये ?

(ख) क्या यह सच है कि अध्यापकों की नियुक्ति का एक शर्त यह है कि उनको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिये जो कि वहां के अधिकांश लोगों की मातृभाषा है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नही। परन्तु अन्दमान भारतीय संघटन की ओर से भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जब कि वह १९५१ में द्वीप का दौरा करने गये थे।

(ख) जी नहीं। परन्तु अध्यापक नियुक्त करते समय उनको अधिमान दिया जाता है जो हिन्दी जानते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय समाज-सेवकों का सम्मेलन

*३८२. **श्री बालकृष्णन् :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज-सेवकों का एक सम्मेलन निकट भविष्य में भारत में होगा ;

(ख) यदि ऐसा होना है, तो क्या यह सम्मेलन भारत सरकार द्वारा बुलाया जायेगा या कि किसी गैर सरकारी संघटन द्वारा ;

(ग) क्या इस सम्मेलन के लिये कोई केन्द्र नियत किया गया है ; तथा

(घ) सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और इस में किस विषय पर चर्चा होगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां।

(ख) एक गैर सरकारी संघटन द्वारा।

(ग) जी हां।

(घ) सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि समाजिक कल्यान के विषय में परिशीलन किया जाये और चर्चा का मुख्य विषय है "रहन सहन का दर्जा बढ़ाने में सामाजिक सेवाओं का कर्तव्य"।

काश्मीर व्यापार आयुक्त

*३८५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यदि यह सच है कि सारे भाग (ख) के राज्यों में से केवल काश्मीर का ही एक व्यापार आयुक्त दिल्ली में है और उसकी क्या स्थिति है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह सच है कि भाग (ख) के राज्यों में से केवल जम्मू तथा काश्मीर राज्य का ही एक व्यापार आयुक्त नई दिल्ली में है। उसके कृत्य मुख्य रूप में इन विषयों से सम्बन्धित है :

(१) भारत में व्यापार सम्बन्धी मामले।

(२) जम्मू तथा काश्मीर सरकार की ओर से दिल्ली में सरकारी विभागों से सम्पर्क।

(३) भारत में जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सम्पत्ति का भार संभालना।

पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां

*३८६. **चौ० रघुबीर सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि यह सच है कि पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये जो कालेजों में

पढ़ते हैं, प्रति वर्ष छात्रवृत्तियां अनुदान की जाती हैं ;

(ख) यदि ऐसी स्थिति है, तो गतवर्ष तथा चालू वर्ष में कितनी ऐसी छात्रवृत्तियां अनुदान की गई थीं ; तथा

(ग) उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या में ऐसी छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष अनुदान की जाती हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां। मैट्रिक से आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां प्रत्येक पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती हैं जिन में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग सम्मिलित हैं।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन-पटल पर रखा हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०**]

अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

*३८७. **श्री वीरस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा वर्ष १९५१-५३ के लिये भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्र-वृत्तियों के सम्बन्ध में सारे भारत में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से कितने प्रार्थनापत्र आये हैं ;

(ख) मद्रास राज्य से आये प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है;

(ग) इस वर्ष कितनी छात्रवत्तियों की मंजूरी दी गई है और किन शिक्षा अनुक्रमों के लिए ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सदन-पटल पर रखे विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१**]

सैनिक कालेज

१२८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि भारत में कोई ऐसे सैनिक कालेज हैं जहां केवल सैनिकों के पुत्र या उनपर निर्भर बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हों, तो उन की संख्या क्या है और वह कहां स्थित हैं;

(ग) क्या इन में से कोई पंजाब में भी स्थित हैं;

(घ) यदि हैं तो कहां पर और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ङ) आज तक जितने लड़कों ने इन कालेजों में विद्योपार्जन किया है उन की संख्या कितनी है;

(च) यदि इस कालेज को उत्तर-प्रदेश ले जाने का विनिश्चय किया गया है या यदि यह पहले ही वहां लिया गया है; तथा

(छ) यदि ऐसा किया गया है तो क्यों ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) पहली अगस्त, १९५१ के बाद कोई ऐसा सैनिक कालेज विद्यमान नहीं रहा जहां केवल सैनिक कर्मचारियों के पुत्र और उन पर निर्भर बालक ही शिक्षा प्राप्त करन के लिए दाखिल हो सकें।

इनको अब सार्वजनिक स्कूल बनाया गया है। ५० प्रतिशत स्थान सैनिक कर्म-चारियों के पुत्रों के लिये रक्षित हैं और शेष ५० प्रातशत साधारण लोगों के लड़कों के लिये रखे गये हैं।

(ख) चार स्कूल हैं, जो नौगांव (विन्ध्य-प्रदेश), अजमेर, बेलगांव तथा बंगलौर में स्थित हैं।

(ग) नौगांव में जो स्कूल है वह १८ अगस्त, १९५१ तक पंजाब राज्य में जालन्धर के स्थान पर था।

(घ) स्कूल जालन्धर में खोला गया था। इस समय इस में २१७ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) अप्रैल १९५१ तक १,८००।

(च) स्कूल १८ अगस्त, १९५१ को नवगांव लिवा गया था।

(छ) मैं माननीय सदस्य का ध्यान २८ जुलाई, १९५२, को अतारांकित प्रश्न संख्या ५७० के भाग (ख) के दिये गये उत्तर को ओर दिलाना चाहता हूं।

उत्पादन शुल्क

१२९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९३९-४०, १९४९-५० तथा १९५१ के वर्षों में केंद्रीय उत्पादन शल्क विभाग के अन्तर्गत किन किन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लिया गया है?

(ख) उपरोक्त वर्षों में भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कितनी २ राशि का शुल्क इकट्ठा हुआ?

(ग) इन वर्षों में शुल्क जमा करने पर लगाये गये विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की संख्या क्या थी?

(घ) इन वर्षों मे उत्पादन शुल्क के उदग्रहण के काम के लिये कितनी कितनी धनराशि का व्यय हुआ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): (क) तथा (ख). सदन पटल पर विवरण रखा हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ग) तथा (घ). जानकारी इकट्ठी को जा रही है और प्राप्त होने पर ही सदन पटल पर रखी जायेगी।

बीडी के विक्रय की अनुज्ञप्ति

१३०. **श्री एन० श्रीकंठन नायर**: क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरुवांकुर-कोचीन राज्य में १९५०-५१ में बीड़ी के विक्रय के लिये 'ए' तथा 'बी' प्रकार की दी गई अनुज्ञप्तियों की संख्या क्या थी; तथा

(ख) ऐसे कितने लोग थे जिनको अनुज्ञप्ति शुल्क लौटाया गया?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): (क) शायद 'ए' तथा 'बी' प्रकार की अनुज्ञप्तियां, जिनकी ओर निर्देश किया गया है, तिरुवांकुर-कोचीन सरकार द्वारा जारी की जाती हैं और वह अपने राज्य के तम्बाकू सम्बन्धी विधि के अधीन यह अनुज्ञप्तियां राज्य के तम्बाकू व्यापारियों को देते हैं। भारत सरकार को न इन अनुज्ञप्तियों के साथ कोई सम्बन्ध ही है और न वह उसके लिये उत्तरदायी हैं। पहली मार्च, १९५१ से २७ अप्रेल, १९५१ तक की कालावधि में, जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अस्थाई रूप से लागू था. फार्म 'एल'-४ की ९,३९६ अनुज्ञप्तियों के लिये प्रार्थना-पत्र आये थे। यह प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४, के अन्तर्गत इस राज्य के बीड़ी निर्माताओं ने भेजे थे।

(ख) ३,५५७ के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति शुल्क लौटा दिया गया है।

ब्रह्माण्ड-रश्मि गवेषणा

१३१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यदि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के विश्वविद्यालय में ब्रह्माण्ड–रश्मि गवेषणा का कार्यक्रम आरम्भ कर लिया गया है;

(ख) यदि किया गया है, तो इस गवेषणा को कौन प्रवर्त्तित कर रहे हैं; तथा

(ग) इस गवेषणा की अवधि कितनी होगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

१३२. **श्री गिड़वानी** : (क) क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तगत विदेशों को भेजे गए सरकारी पदाधिकारियों की संख्या क्या है ?

(ख) इन में से कितने ऐसे हैं जो प्रशिक्षण काल के पश्चात् निवृत्ति समय तक दस से अधिक वर्ष के लिये नौकरी में रहेंगे ?

(ग) विदेश भेजे गये पदाधिकारियों में से कितने स्थायी सरकारी नौकर हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग) तक. जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदत-पटल पर रखी जायेगी।

पूंजी निर्गम के नियन्त्रण के अन्तर्गत अनुज्ञा

१३३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी निर्गम के नियन्त्रण के अन्तर्गत जिन विदेशी व्यवसायसंघों को भारत में शाखायें खोलन की अनुज्ञा दी गई है उनकी संख्या क्या है ;

(ख) वह कौन सा उद्योग या अन्य प्रयोजन है जिस के लिये अनुज्ञा दी गई ;

(ग) प्राधिकृत पूंजी कितनी राशी की है ;

(घ) उन व्यवसायसंघों की क्या संख्या हैं जो भारतीय पूंजी की भागिता से चलाये जायेंगे ; तथा

(ङ) भागिता में सम्मिलित होने वाले भारतीय कारखानों की क्या संख्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ङ) तक. जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रखी जायेगी।

असैनिक राजपत्रित पदाधिकारी

१३४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विभाग में असैनिक राजपत्रित पदाधिकारियों की क्या संख्या है;

(ख) उन में से कितने स्थायी है; तथा

(ग) यदि असैनिक राजपत्रित पदाधिकारी नामक पद के उत्सादन की कोई योजना है, और यदि है तो ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २१४७.

(ख) ४३९।

(ग) जी नहीं।

रक्षा विभाग में पदाधिकारी तथा निरीक्षक

१३५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रक्षा विभाग में कितनी संख्या में पदाधिकारी तथा निरीक्षक हैं, उनके कृत्य क्या हैं और उनका वेतन कितना हैं; तथा

(ख) युद्ध से पूर्व उनकी क्या संख्या थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य पदाधिकारी निरीक्षकों तथा अधीक्षकों की ओर निर्देश करते हैं।

सेना-राजसेवा प्रधान कार्यालयों तथा अन्तर्राजसेवा विभागों में इस ससय नौकर पदाधिकारी निरीक्षकों और अधीक्षकों के विषय में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

संख्या :

	पदाधिकारी निरीक्षक	अधीक्षक
स्थायी	८२	११२
अस्थायी	३८	३८
कुल	१२०	१५०

कृत्य :

पदाधिकारी निरीक्षक अमन्त्रीय राजपत्रित पदाधिकारी हैं जिन को कार्यपालिका तथा प्रशासन सम्बन्धी कनिष्ठ कर्मचारिवृन्द के काम पर नियुक्त किया गया है।

अधीक्षक क्लर्क कर्मचारिवृन्द में सम्मिलित हैं और इनके अधीन विभागों में सात या दस सहायक तथा क्लर्क काम करते हैं। क्लर्क कर्मचारिवृन्द का प्रशिक्षण तथा क्लर्कों के काम का निरीक्षण करना इनका कर्तव्य है। यह अराजपत्रित मन्त्रीय पदाधिकारी हैं और इन को कार्यपालिका तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य नहीं सौंपा जाता।

वेतन :

वेतन अनुक्रम	पदाधिकारी निरीक्षक	अधीक्षक
जो १९३१ से पहले नौकर हूए हैं	९००—५०—११५० रुपये	५००—४०—७०० रुपये
जो १९३१ के बाद नौकर हूए हैं	६५०—३०—८०० रुपये	४००—२०—५०० रुपये
(ख) युद्ध से पूर्व की संख्या।	२६	४८

सोमवार,
१७ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, १७ नवम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब मुख्य कार्यवाही प्रारम्भ होगी, अर्थात खाद्य स्थिति संबंधी प्रस्ताव ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं ने एक संशोधन की पूर्वसूचना दी हुई है परन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं कि इसे अभी प्रस्तुत किया जाना है या कुछ समय के पश्चात्

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ अन्य संशोधन भी प्राप्त हुए हैं । कुछ एक तो आज प्रातः ही मिले हैं । परन्तु मैं यह प्रश्न उठाना नहीं चाहता हूं कि पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी गई, क्योंकि इस चर्चा के संबंध में गत शनिवार को ही निश्चय हुआ था, अतः संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नहीं था मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा सरकार की तत्संबंधी नीति के बारे में वक्तव्य हो चकने के पश्चात् संशोधनों पर विचार किया

जाय । तत्पश्चात् संशोधनों की प्रवेश्यता पर विचार किया जायगा ।

पंडित अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया— पश्चिम): मुझे एक प्रार्थना करनी है कि यह गल्ले का मामला बड़ा अहम है और सब लोग अपनी अपनी राय ज़ाहिर करना चाहते हैं, इसलिये इस पर बहस आरम्भ करने से पूर्व भाषणों पर कोई टाइम लिमिट मुक़र्रर कर दी जाय ताकि अधिक से अधिक आदमी इस मामले पर बोल सकें, या फिर इस पर बहस के लिये ज़्यादा दिन दिये जायें । स्पीचों पर प्रतिबन्ध लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि एक आदमी बोलने के लिए खड़ा हो जाता है और काफ़ी वक्त ले लेता है और इस तरह दूसरे मैम्बर बोलने से रह जाते हैं ? इसलिये टाइम लिमिट रखने के बारे में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने वाद विवाद के अग्रेतर विस्तार का प्रश्न उठा दिया है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उनका पहिला विषय-बिन्दु भाषणों के समय के परिसीमन के संबंध में था । मैं इस में पूर्णतः सहमत हूं परन्तु यह प्रश्न आपके तथा सदन के विचार का है, क्योंकि कुछ एक को तो बोलने का अवसर मिलता ही नहीं, चाहे कुछ भी समय निश्चित

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किया जाय, और कुछ एक को अत्यधिक बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : संपूर्ण उपलब्ध समय के आधार पर ही इस प्रश्न पर विचार हो सकता है अन्यथा पहले बोलने वाले अधिक समय ले जायेंगे. और यदि सभी अवस्थानों पर चर्चा न हो सकी तो समय के विस्तार की बात माननी पड़ती है। यदि यह चर्चा आगे चल सकती हो तो समय का समायोजन उसी प्रकार से किया जा सकता है । परन्तु यदि इसे आज ही समाप्त करना हो तो समय का परिसीमन उसी आधार पर किया जा सकता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस विषय में मैं आपकी मंत्रणा के अनुसार चलना चाहता हूं । हमारे पास अन्य कार्य के लिये बहुत कम समय है, परन्तु मैं नहीं चाहता कि सदन को ऐसा अनुभव हो कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार वाद विवाद को दबाना चाहती है अथवा उसे अनुचित रीति से परिसीमित करना चाहती है। मेरा एक सुझाव तो यह है कि सरकार की ओर से जो कुछ उत्तर दिया जाना हो वह कल पर रख दिया जाय। ऐसा करने से अन्य लोगों को आज अधिक समय मिल सकेगा। यथासंभव यह वाद विवाद आज समाप्त हो जाना चाहिए । कुछ भी हो, मैं इसे पूर्णतया आप पर छोड़ता हूं ।

(कुछ अधिक चर्चा के पश्चात् प्रधान मंत्री के उक्त सुझाव को मान लिया गया। साधारण वक्ताओं के लिए १५ मिनट और वर्गनेता के लिए २० मिनट का समय निश्चित हुआ ।)

श्री किदवई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय ।"

मैं सर्वप्रथम सरकार के उद्देश्यों और उसकी खाद्य नीति का उल्लेख करना चाहता हूं । हमारे उद्देश्य यह हैं कि हम अपनी उपज बढ़ाएं जिस से हमें विदेशों से आयात करने की आवश्यकता न रहे, तथा यह कि हम उचित मूल्य पर न्यायोचित वितरण की व्यवस्था करें। इस नीति का अवलम्बन वर्तमान नियंत्रणों द्वारा अथवा उन नियंत्रणों द्वारा जो १९४५-४६ में चलाये गए, तथा 'अधिक-अन्न-उपजाओ आंदोलन' द्वारा किया जा रहा है।

नियंत्रण देश भर में एक रूप नहीं हैं। कुछ स्थानों पर इन से लोगों को अधिक अन्न उपजाने के हेतु उत्साह मिला है और कुछ जगह इन से रुकावट पैदा हुई है। अतः यद्यपि हम नियंत्रणों को चालू रखना चाहते हैं, गत कुछ वर्षों में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में हमें उन में परिवर्तन करना है। नियंत्रणों के प्रकार के संबंध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में इसका रूप उत्तरीय भारत की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। उत्तरीय भारत में अधिकांश राज्यों में खाद्यान्न का अतिरेक है अथवा वह आत्म निर्भर हैं परन्तु दक्षिण भारत के राज्यों में खाद्यान्न की हीनता है ।

दक्षिण भारत में समाहार नीति का प्रवर्तन अधिक कड़ाई के साथ किया जाता है, और कभी कभी तो उत्पादक से, उसकी तत्कालीन आवश्यकताओं को छोड़कर, शेष सभी उपज ले ली जाती है, और वर्ष के शेषांश के लिये उसे सरकारी गोदाम से प्रदाय मिलता रहता है । उत्तरीय भारत में अतिरेकीय क्षेत्र होने के कारण, समाहार नीति का प्रवर्तन इतना कड़ाई से नहीं होता वरन् कुछ ढीला ही रहता है , और हम सारी अविरिक्त उपज का लाभ नहीं उठा सकते ।

उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ? मैं उत्तरीय भारत और दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े देता हूं। बिहार में कृष्ट भूमि में, १९४३ और गत वर्ष के बीच चालीस लाख एकड़ों की वृद्धि हुई है । मद्रास में दस लाख एकड़ की कमी हुई है । पंजाब में दस लाख एकड़ की वृद्धि हुई है । उत्तर प्रदेश में भी दस लाख एकड़ की वृद्धि हुई है । मैसूर में अनाज की फ़सल वाली कृष्ट भूमि में चार लाख एकड़ की कमी हुई है । इससे यह जान पड़ता है कि दक्षिण भारत की समाहार पद्धति में कुछ न कुछ त्रुटि है । यह पद्धति इतनी कड़ी है कि उत्पादक के लिए अधिक अन्न उपजाने के लिये कोई आकर्षण ही नहीं रहता । अतः जहां उत्तरीय भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है दक्षिणीय भारत में गिरता जा जा रहा है । परन्तु उत्तरी भारत में समाहार प्रणाली दक्षिणी भारत के समान प्रभावी न होन के कारण हम वहां के अतिरिक्त उत्पाद का लाभ हीन राज्यों के लिए नहीं उठा सकते । इसी से यह प्रकट होता है कि इस नीति में कुछ न कुछ परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है ।

गत वर्ष हमने कुछ एक राज्यों में एक भाग से दूसरे भाग को खाद्यान्न के अबाध परिवहन की अनुमति देने का प्रयत्न किया था । हम ने विनियंत्रण का प्रयोग भी किया । परन्तु हमें इस बात का सदैव ध्यान रहता था कि जब कभी मूल्य बढ़ने लगें गे हम उपभोक्ता की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे । और हमने कई एक स्थानों पर ऐसा किया भी । उदाहरणतः भोपाल में जब मूल्य बढ़ने आरम्भ हुए और हमने देखा कि कुछ मोटे अनाज का परिवहन जिस की अनुमति हम ने देदी थी, रुकना चाहिए तो उसे तुरन्त रोक दिया गया ।

गत रात्रि को माननीय सदस्यों को कुछ क विवरण बांटे गए थे जिन में गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए थे । अधिकांश राज्यों में उपभोक्ता को इस ढिलाई से कुछ राहत मिली है क्योंकि मूल्यों में कमी हो गई है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राशन वाले क्षेत्र के मूल्यों और अन्य क्षेत्र के मूल्यों में सदा अन्तर रहता है । और कुछ एक राज्यों में—बिहार का उदाहरण लीजिये—राशन का क्षेत्र—उदाहरणतः जमशेदपुर—बहुत छोटा है । पटना में कुछ एक सस्ती दुकानों की व्यवस्था है जहां से खाद्यान्न खरीदा जा सकता है ।

पडित एल० के० मैशा (नवद्वीप) कोयला-क्षेत्रों में भी ।

श्री किदवई : जी हां, वहां भी ।

परिचालित किए गए विवरण से यह जाना जा सकता है कि इस ढील का क्या परिणाम रहा है क्योंकि अतिरेक वाले क्षेत्रों से चावल और गेहूं हीनता वाले क्षेत्रों में ले जाए जाने की छूट दे दी गई है और इससे मूल्य बहुत नीचे आ गए हैं । इसका प्रयोग यू० पी० में भी किया गया था, ऐसे समय पर जब कि वर्षा आरम्भ हो चुकी थी और अबाध परिवहन संभव नहीं था । तो भी जिस दिन विनियंत्रण लागू किया गया चावल के मूल्य गिर गए और अगले दिन अधिकांश पूर्वीय ज़िलों में वह सरकारी मूल्यों से कम थे । पश्चिमी ज़िलों में मूल्य ऊंचे रहे क्योंकि चावल उत्पादक क्षेत्र प्रायः पूर्वीय यू० पी० में ही थे ।

हापुड़ में गेहूं का मूल्य १६ रुपया प्रति मन से चढ़कर २२ रुपया प्रति मन तक पहुंच गया । परन्तु इस पर मुख्य मंत्री ने अनाज के व्यापारियों की एक सभा बुलाई और उन्हें बतलाया कि यदि मूल्य कम नहीं किया गया तो उस नए जारी हुए खाद्यान्न आदेश को लागू कर दिया जायगा जिस के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त हैं कि

को समाहार मूल्य पर उठा ले। इसका परिणाम यह हुआ कि मूल्य गिर कर १७ १/२ रुपये पर आ रहा। परन्तु अन्य प्रकार के खाद्यान्न अधिक सस्ते थे और सुविधा से उपलब्ध होते थे, अतः १५ नवम्बर से य० पी० सरकार ने गेहूं को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के खाद्यान्न पर से नियंत्रण हटा लिया हुआ है—गेहूं पर से इसलिए नहीं हटाया कि गेहूं का मूल्य ऊंचा है। इसका कारण यह है कि यू० पी० सरकार खाद्यान्न के विषय में राजकीय सहायता दे रही है। हम सामान्य व्यापारियों से यह आशा नहीं कर सकते।

यू० पी० सरकार स्वयं गेहूं का मूल्य १६ रुपये से बढ़ाकर १९ रुपये करने का विचार कर रही थी। उन्होंने इस मूल्य वृद्धि के लिए प्रथम जून की तिथि निश्चित कर दी हुई थी। उस समय हम ने उन से यह आग्रह किया कि अभी यह मल्य-वृद्धि न की जाय, अतः उन्होंने इस तिथि को बढ़ाकर १६ जन कर दिया। चार जून को देहली के भाव १९ रुपये से घटा कर १६ रुपये पर लाए गए। अतः यू० पी० सरकार ने सोचा कि मूल्यों में वृद्धि करने के लिये यह उचित समय नहीं है। अब उन्होंने मूल्य बढ़ा दिए हैं और अब खुले बाज़ार भाव में और यू० पी० सरकार के मूल्यों में बहुत कम अन्तर है अन्य राज्यों में भी यही अनुभव रहा है। बहुत बड़े क्षेत्र में इस समय खाद्यान्न का आना जाना अबाध रूप से चलता है और मूल्य घट र हैं, यहां तक कि इन राज्यों की सरकारों को अपने वर्तमान स्कन्धों पर संभाव्य हानि के विषय में चिन्ता हो रही हैं।

१२ मध्यान्ह

मद्रास का अनुभव कुछ भिन्न प्रकार का है। परन्तु मुझे आशा है कि सदस्य इस बात को मानेंग कि विनियन्त्रण से वर्षा नहीं रुकी है। यदि नियंत्रण चालू रहता और वर्षा न होती ती मद्रास की कठिनाई को दूर करन के लिए कुछ न कुछ करना अनिवार्य था, क्योंकि उस दशा में समाहार तो संभव ही न होता और मद्रास में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए अन्य उपाय करने पड़ते। अब, वहां अकाल का सामना है। दोनों ही बार वर्षा नहीं हुई, अतः उनके लिये कुछ न कुछ करना ही होगा। यह अनावृष्टि विनियन्त्रण के कारण नहीं हुई। परन्तु वास्तव में कोई विनियन्त्रण नहीं है। खाद्यान्न आदेश मौजूद है जिसके बारे में मद्रास सरकार का उस समय यह विचार था कि उसके प्रवर्तन की आवश्यकता नहीं क्योंकि परिस्थिति इस प्रकार की थी। इस आदेश के अन्तर्गत सभी खाद्यान्न व्यापारियों को पंजीबद्ध होना चाहिये। उन्हें राज्य सरकार को इस विषय से अवगत रखना होगा कि उन्होंने खाद्यान्न की प्रतिभूति पर क्या ऋण दे रखा हुआ है और जब कभी मूल्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो राज्य सरकार समाहार मूल्य पर स्कन्धों पर अधिकार कर के उन्हें सस्ते मूल्य पर बेच सकती है। मद्रास सरकार ने इसको लागू नहीं किया था क्योंकि उस समय वह समझते थे कि परिस्थिति उन के वश में है। अब अनावृष्टि के कारण वह कुछ चिंतित से हैं और गत सप्ताह उन्होंने नए आदेश को राज्य में लागू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस आदेश के प्रवर्तन द्वारा और कुछ उस सहायता के सहारे जो हम उन्हें दे सकेंगे वह खाद्य स्थिति को संभाल सकेंगे।

मैं ने अपनी अब तक की नीति का संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। अब हम इस में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। इन्हें वर्तमान नियंत्रणों में ढील का नाम दिया जा सकता है। परन्तु वास्तव में यह ढील नहीं है। परन्तु जैसा कि मैं बतला चुका हूं हमारा अनुभव यह रहा है कि आधिक्य वाले राज्यों में

समाहार की ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया है और अब जब कि वह यह देख रहे हैं कि यदि वह किसी प्रकार के खाद्यान्न का स्कंध रखते हैं और मूल्य गिर जाते हैं तो उन्हें क्षति उठानी पड़ेगी तो वह समाहार से जी चुरा रहे हैं। और हमें कमी वाले क्षेत्रों के लिए यथासंभव समाहार करना पड़ रहा है। अतः हम वर्तमान नियंत्रण पद्धति में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात् हम कमी वाले राज्यों को यह अनुमति दे रहे हैं कि वह आधिक्य वाले क्षेत्रों में भी समाहार कर सकें। यदि मध्य प्रदेश अथवा पंजाब की सरकार मोटे अनाज, अर्थात् बाजरा इत्यादि का समाहार नहीं करते हैं तो हम बम्बई और मद्रास जैसे कमी वाले राज्यों को वहां पर समाहार करने की अनुमति दे रहे हैं।

अब मैं नीति संबंधी वक्तव्य को पढ़कर सुनाता हूं :

"वर्तमान अन्तर्राज्य प्रतिबन्धों को बनाए रखने का विचार है। परन्तु राज्य सरकारों को इस बात की स्वतंत्रता रहेगी कि किसी अन्य राज्य में, जिसे केन्द्र ठीक समझे, बाजरा आदि मोटे प्रकार के अनाज खरीद कर अपने राज्यों में ले जाएं। यह व्यवहार वह चाहें तो राज्य-स्तर पर कर सकते हैं और चाहें तो अपने निजी अभिकरणों द्वारा सीधा खरीद कर सकते हैं। किसी एक राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना, माल ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्तर्राज्य प्रतिबन्धों के रहते हुए भी उन उत्पादकों को जो अपनी उपज निकटवर्त्ती बाज़ारों में बेचना चाहेंगे, यद्यपि वह उस राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हो, सिर पर उठाए जाने योग्य मात्रा में माल ले जाने की अनुमति होगी।

इस विषय में यथेष्ठ उपाय करन होंग कि खरीदने वाले राज्यों की प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं भाव अत्यधिक ऊंचे न चले जाऐं। ऐसी खरीदों के लिए एक विशेष मूल्य को ध्यान में रखा जायगा जिसका संबंध वर्तमान समाहार मूल्यों से होगा।

अतिरेक का ठीक ढंग से वितरण हो इस आशय से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा होने वाले क्रय-व्यवहारों में परस्पर अनुपात रखा जायगा। अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकारें चाहें तो अपने राज्य में से ही आवश्यक मात्रा का समाहार कर सकती हैं।

मूल्य स्तर का ध्यान रखा जाएगा, ताकि कहीं आधिक्य वाले राज्यों से अत्यधिक मात्रा में निकास न हो जाए, जिससे मूल्य-स्तर में अनुचित वृद्धि हो।" जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं हम ने भोपाल में ऐसा ही किया था जब मूल्य बढ़ने लगे थे। तब हम ने उक्त राज्य में से सभी निर्यात बन्द कर दिया था।

"खाद्यान्न के नियंत्रण में और अधिक ढील पर विचार करने से पहले इस ढील के प्रभाव को देखा जाएगा। तब तक चावल और गेहूं के वर्तमान नियंत्रण इसी प्रकार से चलते रहेंगे।"

यह नई योजना केवल इस विचार से चलाई जा रही है कि आधिक्य वाले राज्यों के पास जो कुछ अतिरिक्त स्कन्ध हो वह कमी वाले राज्यों को प्राप्त हो सके।

अब रहा चावल का प्रश्न। मैं उड़ीसा सरकार का आभारी हूं उस सहायता के लिए जो उन्होंने गत वर्ष दी और जो इस वर्ष देने का वचन दिया है। वह अपना सभी अतिरिक्त चावल हमें देते रहे हैं, परन्तु यह बात हम अन्य राज्यों के बारे में नहीं कह सकते। इसीलिये, हम उक्त राज्यों से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं कि वह कितनी मात्रा

[श्री किदवई]

कमी वाले क्षेत्रों को दे सकेंगे, क्योंकि चावल के समाहार के विषय में हमें इस वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक सावधान रहना है । बाहर से मंगाए जाने वाले चावल पर हमारा खर्च वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है, अतः हमें अधिकाधिक अपने देश के उत्पादन पर ही निर्भर रहना है । इसलिए यू० पी० से, जहां चावल खाने वाले लोग पूर्वीय ज़िलों में ही रहते हैं, और पंजाब से मैं अत्यधिक मात्रा में चावल मांग रहा हूं और यदि वह उतनी मात्रा हमें समाहार द्वारा दिलवाने से इन्कार कर देंगे तो संभवतः कोई अन्य परिवर्तन किया जाएगा । परन्तु हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह इस आशय से कर रहे हैं कि हमारे खाद्य उत्पाद तथा समाहार में वृद्धि हो और हमारी अपेक्षाएं देश के उत्पाद से ही पूर्ण हो सकें ।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय ।"

मुझे तीन संशोधनों की पूर्व सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक डा० लंका सुन्दरम् का है । तीनों संशोधन नियमानुकूल हैं ।

(अध्यक्ष महोदय ने तीनों संशोधन पढ़कर सुनाए और फिर डा० लंका सुन्दरम, श्री शिवमूर्ति स्वामी और सरदार ए० एस० सहगल ने अपने अपने संशोधनों को प्रस्तुत किया । फिर यही संशोधन अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किए गए ।)

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मैं खाद्य मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता था, वह यह कि क्या जो नीति निर्धारित की गई है वह पश्चिमी बंगाल के लिये जो कि एक चावल-उत्पादक और चावल खाने वाला राज्य है भी लागू होती है ।

श्री किदवई: जी हां, इसका अनुसरण किया जायगा । शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा ।

श्री एस० एस० मोरे(शोलापुर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि खाद्यान्न के मूल्य घट रहे हैं । क्या मैं उन से इसके कारण पूछ सकता हूं, अर्थात् यह कि क्या उत्पादन परिव्यय कम हो गया है अथवा क्या मांग घट गई है ?

श्री किदवई : जहां तो सरकारी अनाज की दुकानें सस्ते भाव पर बेच रही हैं वहां तो मांग वैसी ही है ; यदि अन्य दुकानों पर उससे सस्ता मिल रहा हो तो लोग उन दुकानों पर चले जाते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: सदन ने खाद्य मंत्री का वक्तव्य सुन लिया है । खाद्य मंत्री ने सरकार की नीति का संक्षेप से वर्णन किया है । मैं उस में दो एक शब्द और बढ़ा देना चाहता हूं जिस से भ्रम निवारण हो जाएगा । प्रत्येक आधारभूत विषय में हम अपनी पुरानी नीति पर पूर्णतः दृढ़ हैं । जहां तक सरकार अथवा खाद्य मंत्रालय का संबंध है कोई ऐसी प्रस्थापना नहीं रखी जा रही है जिस से उस आधारभूत नीति में जिसका अनुसरण हम अब तक करते रहे हैं कोई परिवर्तन आता हो । हम कुछ एक समायोजन तथा कुछ ढिलाई कर रहे हैं जिनका संबंध केवल बाजरे से है । जहां तक वर्तमान नीति का संबंध है गेहूं अथवा चावल के संबंध में कोई प्रस्थापना प्रस्तुत नहीं की जा रही है । यह है वर्तमान स्थिति । हां, सदन इस पर जिस विधि से चाहे चर्चा कर सकता है ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है, श्रीमान् । क्या इसका यह अभिप्राय है कि मद्रास में जो स्थिति इस समय है वह चलती रहेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं ऐसा ही समझता हूं ।

श्री किदवई : इस में सुधार हो जाएगा ।

श्री नम्बियार : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं, श्रीमान

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण हो चुका है ।

श्री नम्बियार : यह चालू रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है ।

अब हम चर्चा को आरम्भ करेंगे । भाषणों के लिए १५ मिनट की सीमा रहेगी, और यदि बहुत संख्या में सदस्य बोलना चाहेंगे तो मुझे इसको कम करना होगा ।

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : औचित्य प्रश्न, श्रीमान् । यह खाद्य स्थिति पर चर्चा है, परन्तु माननीय मत्री ने भारत में खाद्य स्थिति का पूर्ण वर्णन नहीं किया है । (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । यदि उन्हें अवसर मिले तो वह इस विषय पर अपना तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा जो कुछ सूचना उन्हें माननीय मंत्री द्वारा प्राप्त हुई है उसी पर उन्हें संतुष्ट होना चाहिए ।

सरदार लालसिंह (फीरोज़पुर-लुधियाना): जो विवरण हमें कल रात प्राप्त हुआ है वह बहुत अस्पष्ट सा है । इस में दिए गए आंकड़े भ्रमपूर्ण हैं और उनसे स्थिति पर ठीक प्रकाश नहीं पड़ता । समस्या का तत्व तो यह है कि क्या उत्पादन बढ़ रहा है अथवा घट रहा है—अर्थात् यह कि क्या देश आत्म-निर्भरता की ओर जा रहा है या नहीं । यदि हम अवनति की ओर जा रहे हैं तो इसका कारण जानना होगा । यदि देश का उत्पादन संतोषजनक हो तो नियंत्रण अनावश्यक सी चीज़ रह जाती है, और यदि रखा भी जाए तो सफल हो सकता है । इसके विपरीत यदि खाद्य की अत्यधिक कमी होगी तो नियंत्रण अनिवार्य होगा परन्तु उन से काम तो शायद ही चल सके । उस से केवल भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की ही उत्पत्ति हो सकती है । यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो स्थिति कदापि संतोषजनक नहीं है । योजना आयोग के कथनानुसार हमारे उत्पादन में वास्तव में चालीस लाख टन की कमी हो गई है, यद्यपि वह भूमि जिस में अनाज बोया जा रहा है लगभग उतनी ही है । अतः स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है ।

[**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** अध्यासीन]

भविष्य के लिए, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी आशायें पूरी होती नहीं जान पड़ती हैं । अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह विरोधी दल के सदस्यों को अपने विश्वास में लें अथवा कम से कम राज्यों के कृषि निदेशकों, कृषि विशेषज्ञों तथा व्यवहारिक कृषकों का एक सम्मेलन बुलाएं और इस कमी के कारण ज्ञात करें । यह एक विकट समस्या है क्योंकि ७५ करोड़ रुपया "अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन" पर खर्च करने के पश्चात् उत्पादन में वृद्धि के स्थान पर कमी हो रही है ।

मैं सरकार के सामने कृषकों का दृष्टिकोण रखना चाहता हूं । सरकार के सामने दो विकल्प हैं : (१) प्रदाय और मांग के नियम को अपना काम करने देना, अथवा (२) पूर्णतः आयोजित अर्थव्यवस्था । प्रदाय और मांग संबंधी नियम के अनुसार, उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों को जोखिम उठानी पड़ती है । उत्पादन कम होने की दशा में कृषक को स्वाभाविकतः अच्छे मूल्यों की प्राप्ति की आशा होने लगती है, और अत्यधिक उत्पादन दशा में उस हल्के मूल्यों पर ही संतुष्ट रहना

[सरदार लालसिंह]

होता है । परन्तु पूर्णतः आयोजित अर्थ-व्यवस्था में कृषक और उपभोक्ता दोनों को ही संरक्षण मिलता है । मैं ने इसका अध्ययन स्विज़रलेंड में किया है । वहां फसल के तैयार होने पर सरकार उपभोक्ताओं और उत्पादकों की समितियों के परामर्श से उसका मूल्य निर्धारित करती है । यदि उत्पादन संपूर्ण राष्ट्रीय मांग से कम हो तो कुछ कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उस दशा में जितने माल की कमी होती है उसके आयात की अनुमति मिल जाती है । यदि आधिक्य हो तो सरकार उसे स्वयं खरीद कर लेती है, या तो संग्रह के विचार से और या सुषव (अलकुहल) बनाने के लिए ।

इन दोनों विधियों में से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है, अर्थात् यथेच्छा कारिता अथवा आयोजित अर्थव्यवस्था की नीति । परन्तु दुर्भाग्यवश भारत सरकार की नीति कृषक-विरोधी रही है । जब उत्पादन कम रहता है और मूल्य बढ़ जाते हैं तो सरकार नियंत्रण द्वारा उत्पादक को भावी लाभ से वंचित कर देती है परन्तु जब कभी अत्यधिक उत्पाद के कारण भाव बहुत गिर जाते हैं तो बिचारे कृषक को कुछ भी संरक्षण नहीं मिलता । कपास और गुड़ के मूल्यों का निर्धारण बहुत नीचा किया गया जिससे कृषकों को बहुत हानि हुई ।

फ़सलों के मूल्यों का अध्ययन किया जाय—कपास, गन्ना, तिलहन इत्यादि का—तो पता चलेगा कि कृषक को फ़सल निकलने पर बहुत कम मूल्य मिलता है परन्तु जब उत्पाद उसके हाथ से निकल चुकता है तो मूल्य बढ़ जाते हैं ।

और अब जो गन्ने का मूल्य एकदम २५ प्रतिशत घटा दिया गया है इससे तो कृषकों को बड़ी हानि होगी । यह मूल्य उत्पादन परिव्यय से भी कम है । कितने ही अभ्यावेदन कृषकों द्वारा सरकार को भेजे गए हैं परन्तु उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि): विवरण में चोर बाज़ार के मूल्यों के दिखाए जाने पर आपत्ति की गई है, परन्तु यह तो ठीक ही किया गया है क्योंकि संविहित राशन के बाहर के क्षेत्रों में चोर बाज़ार का मूल्य ही व्यापक था ।

श्री किदवई: इनका उद्धरण मद्रास सरकार द्वारा किया गया है ।

श्री रघुरामय्या: मेरे अपने क्षेत्र में जब कि समाहार मूल्य धान की एक बोरी के लिए १८ से २० रुपये तक था तो चोर बाज़ार में ३० रुपये से कम नहीं था । विनियंत्रण के फलस्वरूप रायलासीमा जैसे कमी वाले क्षेत्रों में चालू मूल्यों में ५० प्रतिशत कमी आ गई है । यह सत्य है कि आधिक्य वाले क्षेत्रों में पहले पहल मूल्य बढ़े थे परन्तु वह शीघ्र ही फिर गिर गए थे और अब स्थिति ठीक हो रही है ।

इस पद्धति के चालू होने से पहले मद्रास में स्थिति बहुत ख़राब थी । समाहार तथा वितरण दोनों ही असंतोषजनक थे और भ्रष्टाचार चल रहा था । अतः इन सब बातों को ध्यान म रखते हुए जो नीति मद्रास सरकार द्वारा अपनाई गई है और केन्द्र द्वारा अनुमोदित की गई है वह सफल रही है । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि इतने से अनुभव के आधार पर ही हम देश भर में विनियंत्रण जारी कर दें । मैं यथेच्छा-कारिता के पक्ष में नहीं हूं । योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उनके कार्यक्रम की समाप्ति पर भी, अर्थात् १९५५-५६ के लगभग, तीस लाख

टन के करीब कमी रह जायगी । और फिर इस देश की जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रही है ।

श्री किदवई: उसके पश्चात् कोई आयात नहीं होगा ।

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हमें उत्पादन में ७५ लाख टन की वृद्धि की प्रत्याशा है । इस समय में आयात क्रमशः घटता जाएगा और हम समझते हैं कि निश्चित कालावधि के अन्त पर आयात समाप्त हो चुकेगा ।

श्री रघुरामय्या: इस शोधन के लिये मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं । कुछ भी हो जनसंख्या की वृद्धि के कारण स्थिति अभी ठीक न हो सकेगी । अतः सरकार को बड़ी सावधानी से नियंत्रित विनियन्त्रण की ओर अग्रसर होना होगा । जो कुछ कठिनाई अब भी मद्रास में हो रही है वह सरकारी दुकानों के खोले जाने से ठीक हो सकती है । खाद्य मंत्री की नीति प्रशंसनीय है ।

श्री गोपाल राव: मुझे माननीय मंत्री के वक्तव्य से अत्यधिक निराशा हुई है । मुझे तो प्रत्याशा थी कि स्थिति का पूर्ण सिंहावलोकन किया जायगा जिस से खाद्य स्थिति संबंधी प्रस्ताव पर वास्तविक चर्चा हो सकेगी । खाद्य समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है । गत छः वर्षों से इस विषय में प्रयोग चल रहे हैं परन्तु यह समस्या हल नहीं हो रही है । अवश्य ही कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी खराबी होगी । लोगों को अत्यन्त कष्ट हो रहा है और कहीं कहीं तो भूख के कारण मौतें भी होनी बताई जाती हैं ।

वर्तमान स्थिति को लीजिये । मद्रास में और अन्य राज्यों में भी मूल्य बहुत ऊंचे चले गये हैं—२५ से ४० प्रतिशत तक । मद्रास राज्य में विनियन्त्रण के पश्चात् सदस्या ने एक नया रूप धारण कर लिया है और जनता और सरकार के सामने नई समस्याएं उपस्थित हो रही हैं ।

उधर योजना आयोग की रिपोर्ट में तो लिखा है कि विनियंत्रण की नीति से हानि होने की आशंका है और इधर मद्रास में वही नीति अपनाई जा रही है । वहां मूल्य १८ रुपये से ३५ रुपये प्रति बोरी तक चले गए हैं । पहले पहल तो लोगों ने उत्साह प्रकट किया था परन्तु अब तो राज्य के सभी भागों में अकाल की स्थिति बन रही है ।

इसके पश्चात् सदनकी बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढ़ाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

श्री गोपाल राव: मद्रास में विनियंत्रण के दो परिणाम तो हुए हैं अधिक मूल्य और अकाल क्षेत्रों का विस्तार । तीसरा परिणाम यह हुआ है कि बाज़ार बड़े बड़े व्यापारियों और भूस्वामियों के हाथ में आ गया है जो इस विनियंत्रण की नीति से लाभ उठा रहे हैं और ग़रीब जनता इन लोगों की दया पर निर्भर है और भूखों मर रही है ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मार्वो-ककरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): क्या वहां उचित मूल्य वाली (फेयर प्राईस) दुकानें नहीं हैं ?

श्री गोपाल राव: उनकी मात्रा बहुत कम है । आरम्भ में मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार के पास डेढ़ वर्ष के लिए स्कन्ध मौजूद है । वास्तव में इतना स्कन्ध नहीं है और अगली फसल की प्रतीक्षा की जा रही है ।

[श्री गोपाल राव]

सरकार ने न तो नियंत्रण की नीति के निष्पादन में जनता का सहयोग लिया था और न ही अब विनियंत्रण के संबंध में ऐसा किया जा रहा है ।

इन परिस्थितियों में चाहे विनियंत्रण हो अथवा कोई अन्य नीति सब जनता के हितार्थ होना चाहिए । मैं सरकार से एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या वह जनता को भोजन देने का उत्तरदायित्व लेने को तय्यार है ? यदि सरकार का यह लक्ष्य हो तो उन्हें सभी राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त हो सकता है सरकार को दलिये की दुकानें, सहायता केन्द्र सस्ते अन्न के डिपो खोलने चाहिएं । धान के समाहार के लिए उन्हें उसका उचित मूल्य निर्धारित करना चाहिए । समाहार की नीति का निष्पादन ठीक रीति से नहीं किया गया है । त्रावनकोर-कोचीन में बड़े भूस्वामी को भी उतना ही अनाज देना पड़ता था जितना किसी छोटे किसान को ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : नहीं, नहीं ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : यह सत्य नहीं है ।

श्री गोपाल राव : मेरे कथन का शोधन हो सकता है । समाहार उन लोगों से होना चाहिए जिनके पास बड़े बड़े स्कन्ध मौजूद हों, और यदि आवश्यकता हो तो बाहर से माल मंगाया जाकर नगरों और गांवों में बांटा जाए ।

मैं यह दुहराना चाहता हूं कि जो कुछ पग सरकार उठाना चाहती है उसे उनके लिए सहायता समितियों खाद्य समितियों तथा विभिन्न राजनैतिक पक्षों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए । मुझे आशा है कि सरकार नितांत नवीन नीति का अवलम्बन करेगी ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस--पूर्व) : सर्वप्रथम मैं यह जतलाना चाहता हूं कि यह समस्या किसी एक पक्ष की समस्या नहीं है वरन् समस्त राष्ट्र की समस्या है, अतः मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि हमें इस पर किसी संकुचित मनोवृत्ति से विचार नहीं करना चाहिए ।

नीति संबंधी जो वक्तव्य आज दिया गया है उसे विनियंत्रण की नीति की घोषणा नहीं कहा जा सकता । माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने तो केवल यही बतलाया है कि बाजरे के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जाने के संबंध में जो प्रतिबन्ध लगाए गए थे वह हटा दिये गये हैं । फिर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कुछ कम वाले क्षेत्रों और आधिक्य वाले क्षेत्रों को मिला दिया जाएगा और इस प्रकार से उन्हें स्वावलम्बी बना दिया जाएगा ।

श्री नन्दा : इस बात को देखते हुए कि अन्तर्राज्य रुकावटें अभी रहेंगी अब कोई ऐसे क्षेत्र (ज़ोन) बनाने का विचार नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : अच्छा हुआ कि यह स्पष्टीकरण हो गया है । इस समस्या का एक ऐसा अवस्थान भी है जिसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया । खाद्यान्न दो प्रकार का है, बढ़िया और घटिया, उत्तम प्रकार का और मोटी प्रकार का । हमारे देश में उत्तम प्रकार के खाद्यान्न की तो पहले से ही कमी है । पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि साधारण लोग मोटी प्रकार के खाद्यान्न को छोड़ कर उत्तम प्रकार के खाद्यान्न का प्रयोग करने लगे हैं । केवल इसी कारण उत्तम अनाज की कमी देखने में आ रही है । अतः इससे हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न वास्तव में यह है कि इस समस्या का हल किस प्रकार से हो । अन्ततः तो एक

ही हल हो सकता है, अर्थात् यह कि उत्पादन में वृद्धि की जाए। तब तक तो कमी रहेगी और नियंत्रण भी किसी न किसी रूप में रखना ही होगा। हमारी सरकार इस नियंत्रण की असुविधाओं को कम करने का प्रयत्न तो समय-समय पर करती ही रही है। खाद्य मंत्री ने जिस नीति की घोषणा अब की है वह भी समाहार और वितरण की पद्धति में कतिपय हेरफेर ही है। अतः इसे विनियन्त्रण नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं कि हमारे पास खाद्यान्न का जो थोड़ा बहुत स्कन्ध मौजूद है उसे ठीक ढंग से काम में लाया जाए तो हमारा आयात घटाया जा सकता है। व्यापारी लोग तो खाद्यान्न को दबा लेते हैं उसका भी उचित प्रबन्ध करना होगा। यह चीज़ भावी विनियन्त्रण के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। मुझे पता चला है कि वर्ष की समाप्ति पर सरकार के पास लगभग २० लाख टन का अतिरेक होगा।

श्री किदवई : १८ लाख टन।

श्री टी० एन० सिंह : हमारे व्यापारियों के पास भी २५ लाख टन अनाज का स्कन्ध बताया जाता है। स्वाभाविक चिन्ता होती है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब कि अनाज का व्यापार अबाध रूप से नहीं हो सकता यदि यह लोग इतना स्कन्ध रख सकते हैं तो नियंत्रणों में ढिलाई आने से तो वह २० लाख और भी रख सकेंगे। इस भावी समस्या की चिन्ता हमें अभी से होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने नियन्त्रणों को न हटाने का जो निश्चय किया है वह बहुत ठीक किया है क्योंकि ऐसा करने से बड़े भयंकर परिणाम निकल सकते हैं।

अब रहा मूल्यों का प्रश्न। एक सुझाव यह दिया गया है कि मूल्यों को ऊंचा जाने दिया जाए जिससे उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ जायेगा तो मूल्य स्वयं ही नीचे आ जाएंगे। यह यथेच्छा-कारिता की नीति का समर्थन करने वालों का तर्क है। परन्तु यह प्रश्न भी संकटमय है और सरकार इस नीति को नहीं अपना सकती।

इस के साथ ही हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि युद्ध से पूर्व जो उत्तम और मोटी प्रकार के अनाजों में मूल्य-समार्हता (पैरिटी) थी वह फिर से लाई जाए। इस से हमारी समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है पहले इन मूल्यों में १ और २·५ का अनुपात हुआ करता था। सरकार अथवा खाद्य मंत्री को खुले बाजार के भावों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिएं क्योंकि वह अवास्तविक और भ्रमात्मक हैं।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : इस अति महत्वपूर्ण समस्या के विषय में तीन धारणाएं हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि नियंत्रण जूं के तूं बने रहने चाहिएं, कुछ कहते हैं कि इन्हें सर्वथा हटा दिया जाय और कुछ का मत है कि इन्हें धीरे धीरे हटाना ठीक होगा अर्थात् जैसे जैसे पंच वर्षीय योजना की कार्यान्विति होगी और खाद्यान्न का आयात भी बन्द होता जाएगा। परन्तु क्या इस पंच वर्षीय योजना का भी कोई आधार है ? क्या वास्तव में हमारे पास कोई ऐसी योजना है जिस के आधार पर कम से कम खाद्यान्न और कपड़े के विषय में आत्म-निर्भरता लाई जा सके, क्यों कि यह दो वस्तुएं हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन तो असफल रहा है और ठीक ही हुआ। यह आन्दोलन मुख्यतः खाद्य मंत्रालय तक ही सीमित रहा है, या थोड़ा बहुत तहसीलों और ज़िलों तक पहुंचा है। ग्रामों तक तो अभी यह पहुंच भी नहीं पाया है। ६५ करोड़ रुपया खर्च होने पर भी यह कार्यक्रम इस लिए सफल नहीं हो सका क्योंकि हम नें जनता को अपने साथ नहीं लिया।

[श्री केलप्पन]

मद्रास में विनियन्त्रण समबन्धी जो प्रयोग किया गया है वह बहुत कुछ सफल रहा है। उक्त राज्य के लोगों ने इसका स्वागत किया है। मूल्य तो अवश्य कुछ बढ़े हैं परन्तु इस से पहले स्थिति बहुत ही खराब थी। चोर बाज़ारी का जोर था।

मेरी समझ में नहीं आता कि खाद्यान्न के उत्पादकों को न्यायोचित मुल्य क्यों न दिया जाए। हम देखते हैं कि और सभी पदार्थों के मूल्य बढ़ गए हुए हैं। यदि आप उन से यह आशा करते हैं कि वह खाद्य की फसलों का उत्पादन करें तो उन्हें भी आर्थिक मूल्य मिलना चाहिए। ग़रीब किसानों को भी तो जीने का अधिकार होना चाहिए। तभी तो लोगों ने नक़दी फसलों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। खाद्य मंत्री ने अच्छा किया जो राज्यों से यह आग्रह किया कि वह आयात किए गए खाद्यान्न के लिए पूरा मूल्य चुकाएं। यदि ऐसा न किया जाता तो इस आयात का कभी अन्त ही न हो सकता।

अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के रह जाने का एक कारण यह भी था कि हमने कई एक और कारकों की ओर ध्यान नहीं दिया। इस खाद्य समस्या का घनिष्ट सम्बन्ध भूमि-सुधार और इस प्रकार की समस्याओं से है। जब तक किसानों को ठीक प्रकार से वह ज्ञात नहीं हो जाता कि उनका कृष्ट भूमि पर यथार्थ अधिकार किस प्रकार का है वह विशेष रुचि से काम नहीं कर सकते। भूस्वामियों को तो लगान मिल ही जाता है इस लिए उन्हें कुछ ऐसी चिन्ता नहीं होती। उधर सामान्य जनता को जब तक यह ज्ञात है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें सब आवश्यक खाद्यान्न मिलता ही रहेगा तो वह भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करेगी। इस गति से तो पांच वर्ष में भी सरकार आयात को समाप्त नहीं कर सकेगी। एक बार कहा गया था कि १९५१ तक खाद्यान्न का सभी आयात बन्द कर दिया जाएगा परन्तु ऐसा न हो सका। इसके विपरीत आयात में वृद्धि करनी पड़ी। इसी लिए मुझे कहना पड़ता है कि सरकार की गतिविधि किसी आयोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं है।

इससे पहिले एक और समिति श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उनके अन्य सुझावों में यह भी था कि पंचायतें और सहकारी संस्थाएं बनाई जाएं और यह काम उनके सुपुर्द किया जाए। आचार्य विनोबा भावे का मत है कि जल और वायु की भांति भूमि भी किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए, वरण सब की सांझी सम्पत्ति समझी जानी चाहिए। परन्तु क्या हम इस प्रकार के आमूल सुधारों के लिए तय्यार हैं? मुझे संदेह है कि आपका 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन अथवा विनियन्त्रण सफल हो सकेगा। आपको पहले जनता में विश्वास और उत्साह भरना होगा कि आपके प्रयत्नों के सफल होने की आशा है।

श्री के० के० देसाई (हालर) : मैं इस नीति सम्बन्धी घोषणा का स्वागत करता हूं जो माननीय खाद्य मन्त्री द्वारा की गई है और जिसका स्पष्टीकरण माननीय प्रधान मन्त्री ने भी किया है। गत दो वर्षों में हमने बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न का आयात किया है। मैं समझता हूं कि आगामी दो वर्षों में अर्थात १९५३ और १९५४ में इतने अधिक खाद्यान्न का आयात नहीं किया जायगा परन्तु यदि किया जाना हो तो स्थिति कुछ ठीक सन्तोषजनक नहीं है।

खाद्य के विषय पर चर्चा करते हुए हम में से अधिकांश अपने अपने राज्य के विशेष दृष्टिकोण से ही उस पर विचार करते हैं। माननीय खाद्य मन्त्री ने स्पष्टतः कहा है कि समाहार, मूल्यों और उत्पादन की समस्या भिन्न राज्यों में भिन्न प्रकार की हैं। उन्होंने यह बतलाया है कि दक्षिणीय भारत कमी वाला क्षेत्र और उत्तरीय भारत आधिक्य वाला क्षेत्र है। मेरा सुझाव यह है कि इस समस्या का इकट्ठा समाधान होना चाहिये। किसी एक राज्य की घटनाओं से अन्य राज्यों की स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाजरे के विषय में विनियन्त्रण आदि की नीति तो ठीक है परन्तु इसके साथ ही सरकार को व्यापारियों से खाद्यान्न के अधिग्रहण का अधिकार भी होना चाहिये।

श्री **किदवई**: यह अधिकार हमें पहले से ही प्राप्त हैं।

श्री के० के० देसाई: परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या खाद्य मन्त्री उसके प्रयोग का विचार रखते हैं तथा स्थिति की पूरी छानबीन करते रहेंगे। अन्यथा डर है कि कहीं १९४७ की भांति फिर से स्थिति ऐसी न हो जाय जो सम्भाली न जा सके। नई नीति की परख तीन दृष्टिकोणों से की जाएगी, अर्थात् उत्पादन, समाहार तथा मूल्य।

श्री नन्दा द्वारा हमें बतलाया गया है कि योजना काल की समाप्ति तक देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर हो सकेगा। हम समझते हैं कि इस वृद्धि का प्रभाव धीरे धीरे प्रतीत होने लगेगा और हमारे उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि देखी जा सकेगी।

एक वक्ता ने 'मार्ग और प्रदाय' के पुराने सिद्धान्त के अवलम्बन की बात कही है। परन्तु हमें इन पुरानी बातों को भुला देना चाहिये। यदि हमारी सभी योजनायें' सफल हो गई तो देश में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि हमें उलटी प्रकार का नियंत्रण लागू करना पड़े। इस समय तो हम उपभोक्ता के संरक्षण के लिये ऐसा कर रहे हैं परन्तु फिर संभवतः उत्पादक की रक्षार्थ हमें न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने पड़ें। विनयन्त्रण की तो बात ही छोड़ देनी चाहिये।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व में माननीय खाद्य मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि यदि किसी राज्य में कोई व्यापारी किसी कमी वाले राज्य से व्यापार के विचार से मोटे खाद्यान्न को छुपाता है अथवा उसे अनुचित रूप से संग्रह करता है तो उन्हें उन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये जो उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मोटा अनाज इस देश के उत्पादन का लगभग तीसरा भाग है इसका उपभोग प्रायः गरीब लोग ही करते हैं।

डा० लंका सुन्दरम्: मुझे प्रसन्नता है कि यह चर्चा आज हो रही है क्योंकि इस से जनता के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और मेरे माननीय मित्र, खाद्य मन्त्री के वक्तव्यों से जो आशंकाएं उत्पन्न हो चुकी हैं उनका कुछ निवारण हो सकेगा।

श्री किदवई: क्या आप उन में से किसी एक का उद्धरण करेंगे ?

डा० लंका सुन्दरम: उदाहरणतः आपका पूना वाला भाषण।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य और माननीय मन्त्री दोनों को चाहिए कि सभापति को सम्बोधन करें।

डा० लंका सुन्दरम्: माननीय खाद्य मन्त्री के वक्तव्य और उस पर प्रधान मन्त्री द्वारा किए गए स्पष्टीकरण से दो तीन अति महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं।

(डा० लंका सन्दरम्)

सर्वप्रथम, राज्य सरकारों को खुली छुट्टी होगी कि चाहे जहां खरीद करें और जो भी खाद्यान्न चाहें खरीद करें। दूसरी समस्या प्रत्येक राज्य क्षेत्र के अन्दर लगातार समाहार की है। तीसरे यह कि चावल अथवा गेंहूं के विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि प्रधान मन्त्री के आज के कथनानुसार बाजरे के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जाने के सम्बन्ध में साधारण समायोजन हो सकेगा। मैं नहीं समझता कि इन वक्तव्यों में बताई गई बातों से खाद्य समस्या पूर्णतः हल हो सकती है। खाद्य मन्त्री को यह बतलाना चाहिये कि क्या हम अगले वर्ष खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं।

श्री किदवई : कर रहे हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : खाद्य मन्त्री ने आज अपने वक्तव्य में बतलाया है कि भारत सरकार के सम्मुख तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् अधिक खाद्यान्न का उत्पादन, उचित वितरण और किसी राज्य में संकटकाल के समय भारत सरकार द्वारा सहायता का दिया जा सकना। आपने यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सन्तोषजनक रीति से चल रहा है और देश को उससे लाभ हो रहा है। परन्तु उनके अपने आंकड़ों से यह बात सिद्ध नहीं होती। मद्रास राज्य में ही दस लाख एकड़ भूमि खाद्यान्न की कृषि से हट चुकी है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह आन्दोलन कहां तक सफल हो सका है।

एक संकटपूर्ण स्थिति जो उत्पन्न होती जा रही है वह यह है कि जिस भूमि पर पहले खाद्यान्न की फसल उगाई जाती थी अब वहां नकदी वाली फसलें उगाई जाने लगी हैं, अर्थात् गन्ना, पटसन, तम्बाकू इत्यादि। मेरे अपने ज़िले में यह चीज देखने में आ रही हैं। एक कमी का क्षेत्र खाद्यान्न की फसल को छोड़ कर नकदी वाली फसलों की ओर जा रहा है। और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस विषय में कुछ भी नहीं कर रही हैं। यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई उपाय न किया गया तो हमारा अब तक का सभी आयोजन तथा विकास का कार्य व्यर्थ होकर रह जाएगा।

खाद्य मन्त्री का यह कहना कि मद्रास में विनियन्त्रण के पश्चात् मूल्य घट गए हैं भ्रमपूर्ण है। हमें वर्तमान मूल्यों की तुलना गत वर्ष के चोर बाज़ार के मूल्यों से नहीं करना चाहिये। उस समय सभी राशन कार्ड रखने वालों को एक न्यूनतम प्रदाय की प्राप्ति अवश्य हो जाती थी और केवल अनुपूरक प्रदाय के लिये उन्हें चोर बाज़ार में जाना पड़ता था।

मेरी यह धारणा है कि जब तक राशन की व्यवस्था यथेष्ट प्रकार से नहीं चलाई जाएगी केवल मूल्य-निर्धारण से काम नहीं चलेगा। देखा गया है कि नियन्त्रण की दुर्व्यवस्था के कारण उन कृषि श्रमिकों के लिये जिनके पास भूमि नहीं है खाद्यान्न का खरीदना अति कठिन हो रहा है।

हमारी समस्यायें केवल विनियन्त्रण से हल नहीं हो सकेंगी। मैं तो समझता हूं कि इस विनियन्त्रण की नीति के अवलम्बन में भी राजनीति को घसीटा गया है। ज़ोन पद्धति इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। खाद्य के विषय में राजनीति का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि भारत सरकार न्याय से काम लेगी।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे जो इस समय बोलने का अवसर दिया है, उस के लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। यह खाद्यान्न

की समस्या एक जटिल समस्या है। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब सन् १९४७ में इसी दिल्ली नगर में फ़ूड मिनिस्टरर्स कान्फ्रेन्स हुई थी और उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

उस समय बाबू राजेन्द्र प्रसाद सेन्टर म फ़ूड मिनिस्टर (खाद्य मन्त्री) थे और मैं ने यह देखा कि मध्य प्रदेश और गवालियर के अलावा बाकी दूसरे सभी प्रान्तों के फ़ूड मिनिस्टर इस पक्ष में नहीं थे कि डिकन्ट्रोल (विनियन्त्रण) किया जाय। इसके साथ ही यह भी मैं आपको बतला दूं कि सारे फ़ूड मिनिस्टरों को महात्मा जी ने बिड़ला हाउस में बुलाया और उनसे इस मामले पर बातचीत की थी और महात्मा जी ने उन से यह कहा था कि तुम को इस समय डिकन्ट्रोल कर देना चाहिये जबकि सिर्फ़ एक दो अपवाद को छोड़ कर जितने फ़ूड मिनिस्टर उस कान्फ्रेन्स में मौजूद थे डिकन्ट्रोल नहीं करना चाहते थे, तो भी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उस ज़माने में नियन्त्रण को हटा लिया। इस के अलावा मुझे वह दिन भी याद है जब सन् १९४८ में महात्मा जी की मृत्यु के बाद दूसरी फ़ूड मिनिस्टर्स कान्फ्रस हुई थी और उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ था। उसमें मैंने पाया कि वह सारे प्रान्तों के फ़ूड मिनिस्टर जो पहले डिकन्ट्रोल के विरोधी थे, वह सारे के सारे केवल एक दो अपवाद को छोड़ कर देश में फिर से कन्ट्रोल लागू करने का विरोध कर रहे थे, उस समय फिर से कन्ट्रोल लागू करने की बात चल रही थी। उस फ़ूड मिनिस्टरर्स कान्फ्रेंन्स के विरोध के बावजूद भारत सरकार नें फिर से खाद्यान्न पर नियन्त्रण लागू किया। इस प्रकार से मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न बहुत ही जटिल है और आज भारत सरकार उसी तरह फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है जिस तरह एक दूध का जला आदमी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। भारत सरकार आज इस प्रश्न के हल में उलझी हुई है और उस की दशा ठीक उस दूध के जले हुए पुरुष के समान है जो छाछ को फूंक फूंक कर पीता है।

इधर पिछले कुछ महीनों से लोगों पर ऐसा प्रभाव पैदा हो रहा था कि भारत सरकार कुछ डिकन्ट्रोल की ओर जा रही है, लेकिन आज जो फूड पालिसी (खाद्य नीति) माननीय फ़ूड मिनिस्टर ने बतलाई है, उस से जो इस प्रकार का भ्रम कुछ लोगों में पैदा हो गया था वह दूर हो जायगा और आज के उनके वक्तव्य से ऐसा मालूम होता है कि भारत सरकार अभी अपनी उसी पुरानी पालिसी पर दृढ़ रहना चाहती है। मझे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने हैं और वह यह हैं कि देश की खाद्य स्थिति को अगर देखा जाये और जैसा अभी हमारे माननीय नन्दा जी ने बतलाया कि भारत सरकार अभी ज़ोन सिस्टम (ज़ोन पद्धति) के पक्ष में नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह कोई आखिरी बात है, या कोई आखिरी निर्णय है। वह अगर देश के हित में है और यदि उससे समस्या हल्की हो सकती है तो ज़ोन सिस्टम को बुरा नहीं कहा जा सकता। देश की खाद्य स्थिति को अगर देखा जाये तो जो आंकड़े भारत सरकार ने दिये हैं उनसे यह मालूम होता है कि लगभग ३० लाख टन खाद्यान्न की हम को प्रति वर्ष ज़रूरत पड़ती है। मैं समझता हूं कि सारे देश को तीन ज़ोनों में बांटा जा सकता है। एक ज़ोन तो आसाम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला कर बन जाता है और इस ज़ोन के लिये लगभग तीन लाख टन आयेगा क्योंकि उसमें आसाम और उड़ीसा सरप्लस (अधिक अन्न वाले) हैं, हां बंगाल डिफ़िसिट (कम अन्न वाला) है। आसाम डिफ़िसिट नहीं है सरप्लस है। वहां से पिछले दो तीन साल में १६ या १८ हज़ार के क़रीब आया है,

[श्री राधेलाल व्यास

सन् १९४६ में उस ने ४६ हज़ार टन दिया था इस तरीके से उड़ीसा भी सन् १९४६ से लेकर सन् १९५१ तक सरप्लस प्रान्त रहा है और अब भी है। बिहार और बंगालश ज़रूर कुछ कमी वाले प्रान्त हैं और इन चारों प्रान्तों को मिलाया जाय तो इन चारों प्रान्तों की आवश्यकता प्रति वर्ष तीन लाख टन की होती है। मेरा ऐसा अनुमान है कि यह चावल खाने वाला प्रदेश है, इसको अलग रखा जाये और कलकत्ता जैसे बड़े शहर में जो ढाई लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है, राशनिंग जारी रक्खी जाये और वहां आप भले ही प्राइस कन्ट्रोल (मूल्य नियन्त्रण) रक्खें, लेकिन मूवमेन्ट (संचरण) फ्री (निर्वाध) रक्खें और मिलेटस के अलावा चावल वहां की मुख्य फ़सल है, उसका मूवमेंट पूरे ज़ोन में खुला रखें, तो उससे वहां की समस्या बहुत कुछ सुलझ सकती है।

दूसरी ज़ोन सदर्न ज़ोन (दक्षिणी ज़ोन) है। यह चार रियासतों से मिल कर बना है, मद्रास, बम्बई, मैसूर और त्रावनकोर कोचीन, और इस ज़ोन को जो इन चार रियासतों से मिल कर बनता है बीस लाख टन प्रति वर्ष की आवश्यकता रहती है और यह एक ऐसा ज़ोन है जिसकी वजह से सारे देश भर पर इस कन्ट्रोल और डिकन्ट्रोल का असर पड़ता है। इन दो जोनों को छोड़ कर अगर सारे देश भर का एक तीसरा ज़ोन बनाया जाय और सन् ४६ से ५१ तक के जो आंकड़े दिये हुये हैं उसके मुताबिक़ कुल ६ लाख टन का बाकी सारे देश भर में डेफ़िसिट रहता है। ६ लाख टन के लिये सारे प्रदेश में कन्ट्रोल कायम करना और वह केवल दक्षिण की चार रियासतों के लिये जिनकी आवश्यकता यह है, मैं समझता हूं कि उस में इस तरह का नियन्त्रण रखना का खास आवश्यक नहीं जान पड़ता और इससे जनता को जितना लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। मेरा सुझाव यह है कि ऐसा दक्षिण का ज़ोन बना दिया जाय और उसमें परिस्थिति के अनुसार जितना और जैसा नियन्त्रण आवश्यक जान पड़े लगाया जाय। बड़े बड़े शहर जैसे मद्रास बम्बई वग़ैरह हैं उन में नियन्त्रण रखा जाय, स्टैट्युटरी राशनिंग रखा जाय और वहां देहातों से माल भर कर लाने की ज़रूरत नहीं है।

श्री नन्दा : बाहर से हमेशा लाते हैं।

श्री राधेलाल व्यास : हम बाहर से नहीं लाना चाहते, लेकिन फिर भी पिछले साल तो इतना अधिक आया है जितना पिछले तीन सालों के पहले नहीं आया। बाहर से तो लाना ही होगा अगर ज़रूरत बाकी रहती है और वहां की खपत से बच जाता है। आप यदि वहां पर ग्रो मोर फ़ूड स्कीमस (अधिक अन्न उगाओ योजना) की वजह से अधिक गल्ला उत्पन्न करते हैं तो आप अतिरिक्त गल्ला दूसरी जगह भेज सकते हैं। आप कन्ट्रोल को ढीला कर दें और बाकी सारे प्रान्तों का एक ज़ोन करके वहां पर मूवमेंट फ्री कर दें, आप भले ही कुछ प्राइस कन्ट्रोल रखे, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर पैदावार भी बढ़ सकती है और इस तरह वहां से जो ज्यादा गल्ला उपलब्ध हो वह आप दूसरे प्रान्तों को दक्षिण के प्रान्तों को भेज सकते हैं।

जहां तक कन्ट्रोल के रखने न रखने का सवाल है, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि अगर आप कन्ट्रोल रखना चाहते हैं, तो उसको सख़्ती से रखिये, यह नहीं हो सकता कि आप कन्ट्रोल तो रखना चाहते हैं लेकिन उसको ठीक तरह नहीं चला सकते और आप उसको कुछ ढीला रखना चाहते हैं।

प्रोक्योरमेंट (वसूली) के बारे में अपने

मध्य भारत की बात बतलाऊं। वहां कोई भी आदमी गैर क़ानूनी तौर पर एक सेर भी अनाज व्यापार के लिये नहीं खरीद सकता है।

लेकिन गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपया चाहिये जिसमें वहां जितना उत्पादन होता है उसको खरीदने के लिये तैयार रहे। गाड़ियां आती हैं लोग अपना अनाज देना चाहते हैं, लेकिन समय पर गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती है। इससे किसानों में बड़ी मायूसी फैलती है और उनमें घबराहट फैलती है। किसान अनुभव करता है कि उसकी गाड़ियां आई हैं, लेकिन उसको वक्त पर पैसा नहीं मिल सकता है, वक्त पर अनाज नहीं तुल सकता है। इसलिये आपकी मशीनरी काफ़ी मज़बूत होनी चाहिये, कि जैसे ही अनाज आये, उसे तोल लिया जाय और पैसा दे दिया जाये। यह नहीं कि अब चिट्ठी दे दी जाये और दस पन्द्रह दिन तक चक्कर लगा कर वह लेता फिरे। इससे अच्छा वातावरण नहीं पैदा होता और न उत्पादन बढ़ाने में ही कदम आगे बढ़ सकता है। इसलिये जहां पर कन्ट्रोल रखना है वहां पर ठीक से रखना चाहिये। समय पर माल ख़रीदने और बिक्री का उपाय होना चाहिये और साथ में समय पर कीमत भी मिलनी चाहिये।

इसके साथ ही अच्छे व्यापारियों के हाथ में कन्ट्रोल न होने की वजह से बीज वगैरह भी समय से उपलब्ध नहीं होता है हमारे मध्य भारत में बीज की बहुत ज्यादा ज़रूरत थी। हमारे फूड मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से इन्दौर अधिवेशन के समय पर उन्होंने हमें बीज दिलवाया।

श्री किदवई : जिस रोज़ मांगा उसी रोज़ दिया।

श्री राधेलाल व्यास: लेकिन शायद आपको यह पता नहीं कि उस के पहले डाइरेक्टर आफ़ फ़ूड (खाद्य के निदेशक) वहां से यहां आये थे और आपके डिपार्टमेन्ट ने उनसे कह दिया था कि हमारे पास बीज नहीं है, और वह वहां से निराश होकर चले गये थे। हां, उसके बाद इन्दौर में ज़रूर आपने बड़ी कृपा की और जितने बीज की ज़रूरत थी वह आपने दिया, लेकिन बहुत देर से। कारण यह है कि हमें बीज बोने के समय चाहिय, पर देर होने से बाद में बोया गया। किसानों के लिये यह ज़रूरी है कि समय पर बीज मिल सके क्योंकि उसकी आदत हमेशा से ऐसी पड़ी हुई है कि वह महाजनों से उधार लिया करता है और फिर बाद में देता है। अगर समय पर बीज बोया जाये तो उत्पादन अच्छा होता है। सन् १९४८ ई० में मध्य भारत को एक करोड़ रुपये का बीज उधार दिया गया था, उसका असर यह हुआ कि जो डिफ़िसिट सन् १९४७ में हुआ था वह सन् १९५० में सरप्लस हो गया। इसलिये मैं अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि बीज वगैरह की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। इस तरह से अगर कन्ट्रोल रखना है तो हमें उत्पादन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही मुझे यह भी निवेदन करना है कि जैसा कि अभी बतलाया गया है कि केवल मिलेट्स पर से हम ने कुछ प्रतिबन्ध हटाया है और वह इधर उधर जा सकेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात और कही गई है कि जो सरप्लस स्टेट्स हैं वहां और डिफ़िसिट स्टैट्स वाले आकर उसे खरीद सकेंगे। यह एक नई चीज़ है जो अभी तक गवर्नमेंट की पालिसी नहीं थी। अगर वहां बाहर वाले आकर इस तरह से खरीद करेंगे तो वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिये। और अगर किसी को खरीदना भी हो तो उस राज्य की गवर्नमेंट ही खरीदे, अगर उसके पास पैसे की कमी हो, बम्बई गवर्नमेन्ट या मद्रास गवर्नमेन्ट

[श्री राधेलाल व्यास]

किसी राज्य को खरीदना हो और उसके पास खरीदने के लिये पैसा न हो, तो आप उसको पैसा दे दें जिसमें वह पेप्सू, पंजाब या विन्ध्यप्रदेश में अनाज खरीद सकें। लेकिन उस राज्य की सरकारों को ही सारा माल खरीदना चाहिये, बाहर से आने वाले व्यापारी या उनके एजेन्टस उसको न खरीद सकें।

समय समय पर कहा गया है कि गवर्नमेन्ट जानती है कि कन्ट्रोल में खराबियां हैं, बुराइयां हैं और वह कन्ट्रोल से जल्दी छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि स्थिति अनुकूल होती जाये। इस के लिये मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट दक्षिण की चार रियासतों और पूर्व की चार रियासतों को छोड़ कर सबों की हालत की जांच करे कि वहां कुछ डिकन्ट्रोल हो सकता है या फ्री मूवमेन्ट हो सकता है या नहीं। और अगर ज़बर्दस्त कन्ट्रोल रखने की ज़रूरत हो तो गवर्नमेन्ट को उस तरफ भी ज़रूर क़दम उठाना चाहिये।

इतना कहने के बाद आपको धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूं।

इस प्रक्रम पर सभापति ने यह घोषणा की कि सरकार ने इस चर्चा को एक दिन के लिये और बढ़ाना स्वीकार कर लिया है। श्री आल्तेकर द्वारा निम्न संशोधन प्रस्तुत हुआ :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें :

"और उस पर विचार करने के पश्चात् सदन सरकार की खाद्यान्न के सामान्य नियन्त्रण की नीति का अनुमोदन करता है और सरकार की इस इच्छा का स्वागत करता है कि आमूल उद्देश्यों को अक्षम रखते हुए इस नीति का समायोजन इस प्रकार से किया जाय कि वह स्थानीय अथवा अस्थाई परिस्थितियों के अनुकूल हो सके।"

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : हमें आज के वक्तव्यों को सुन कर प्रसन्नता हुई है क्योंकि इन से पता चलता है कि सरकार की नीति संगत रही है, डांवाडोल नहीं रही। देश भर में लोगों को कुछ ऐसा ख्याल हो रहा था कि सरकार की नीति में बड़ा परिवर्तन आ गया है क्योंकि माननीय खाद्य मन्त्री देश को यह बतलाते रहे हैं कि वह अन्ततः विनियन्त्रण की ओर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि जो नीति उन्होंने कुछ एक क्षेत्रों में अपनाई है उसके विषय में यह मिथ्या बोध हुआ हो कि वह विनियन्त्रण की नीति है।

मैं ऐसा समझता हूं कि खाद्य मन्त्री ने देश में इस प्रकार की भावना सी उत्पन्न कर दी है कि अब खाद्यान्न का अभाव नहीं रहा है। परन्तु सभी को ज्ञात है कि यह देश खाद्यान्न के बारे में कभी भी आत्म निर्भर नहीं रहा है। युद्ध से पूर्व भी हम पड़ोसी देशों से खाद्यान्न का आयात किया करते थे। यह तो ठीक है कि आयोजित अर्थ व्यवस्था में कुछ न कुछ नियन्त्रण का होना आवश्यक समझा जाता है परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं हो सकता कि हम गत दस वर्षों की भांति सदैव के लिये नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था के अधीन रहें। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से जिस पर हमने इतना व्यय किया है कुछ सन्तोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कृषक अथवा उत्पादक को यह अनुभव रहा है कि उसे अपने उत्पाद के लिये यथेष्ट मूल्य की प्राप्ति नहीं होती रही है।

रूई को लीजिये। हम विपुल मात्रा में रूई का आयात बाहर से करते हैं। प्रति वर्ष हम १००करोड़ रुपये का आयात करते चले आ रहे हैं, और हम अन्य देशों को अपने उत्पादकों की अपेक्षा तिगुना मूल्य देते रहे हैं। जब तक कृषक को किसी फसल के स्थ आय की प्राप्ति की आशा नहीं होगी वह उसके उत्पाद के लिये प्रयत्न क्यों करेगा ?

यह हाल खाद्यान्न का है। जब कि हम बाहर से २४ रुपये प्रति मन के दर से खाद्यान्न मंगा रहे थे हम यहां के कृषक से समाहार कर रहे थे और उसे इस बात की छूट नहीं थी कि इस से आधे मूल्य पर भी बेच सकें। फिर हम कृषक से अधिक अन्न उपजाने की प्रत्याशा कैसे कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि अन्ततः हमारे कृषकों के लिये एक न्यूनतम आय की प्राप्ति अनिवार्य होनी चाहिये। जब तक यह नहीं होगा उत्पादन में स्थिरता नहीं आ सकेगी और यह उतार चढ़ाव चलते रहेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उस नीति की प्रशंसा करता हूं जिसका अवलम्बन खाद्य मन्त्री ने गत तीन अथवा चार वर्षों में किया है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं सदन के सम्मुख कुछ एक आंकड़े रखने चाहता हूं जिनसे वर्तमान समस्या को समझने और उस पर विचार करने में सुविधा रहेगी। सभी वस्तुओं का थोक मूल्य देशनांक जो सितम्बर, १९४८ में ३८३.७ था वह प्रथम नवम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले सप्ताह में बढ़ कर ३८६.३ हो गया। अर्थात् अब यह लगभग उसी स्तर पर आ गया है जिस पर आज से चार वर्ष पूर्व था। खाद्य वस्तुओं के लिए देशनांक सितम्बर, १९४८ में ३९५.५ था और अब ३७६.६ है, अर्थात् कुछ कम है। खाद्य वस्तुओं की इस श्रेणी में पटना का चावल, गुड़, जवार, नमक, कौफी तथा अरहर की दाल सम्मिलित हैं। चावल, जवार, अरहर की दाल, रूई, मूंगफली आदि का देशनांक इस प्रकार है:—

मद	सितम्बर १९५२	११–१०–५२
चावल	९६५	८९४
जवार	१८७	—
अरहर दाल	६९२	—
रूई	४५५	—
मूंगफली	६१६	—

मद	१८–१०–५२	२५–१०–५२
चावल	८९४	८५८
जवार	—	१७९
अरहर दाल	—	६३
रूई	—	४२४
मूंगफली	—	६१९

यह सभी देशनांक १९३९ के आमूल देशनांक १०० पर आधारित हैं और २५ अक्तूबर, १९५२ का देशनांक अन्तिम देशनांक है जो मेरे पास मौजूद है।

इससे एक निष्कर्ष यह निकलता है कि खाद्यान्न के उत्पादक की दशा कुछ ऐसी बुरी नहीं रही है और डा० लंका सुन्दरम् के इस तर्क में कि खाद्यान्न का स्थान नक़दी की फसलें ले रही हैं कुछ अधिक तत्व नहीं है। वास्तव में चावल के उत्पादक को अब भी पहले से अधिक मूल्य की प्राप्ति हो रही है और यदि यह सत्य भी हो कि समय समय पर फसलों की अदला बदली होती रहती है तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी राज्य विशेष को अथवा देश को किसी प्रकार की हानि होती है। हमें इनमें से अधिकांश वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, चाहे उद्योग के लिये कच्चे माल के रूप में और चाहे निर्यात के लिये। अब मैं निर्वाह-व्यय देशनांक की ओर आता हूं .....

डा० एस० एस० मोरे: क्या माननीय मन्त्री के पास विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न प्रक्रमों के लिये उत्पादन परिव्यय के आंकड़ें हैं? इन आंकड़ों के बिना हम कोई विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य का तर्क विषय तो ठीक है। परन्तु उत्पादन परिव्यय का निर्धारण अति कठिन विषय है भारतीय केन्द्रीय रूई समिति और कृषि अनुसंधान परिषद् ने १९३६ से १९३९ तक, अर्थात् तीन वर्ष तक के कालान्तर के लिये

[श्री सी० डी० देशमुख]

रूई के उत्पादन परिव्यय के सम्बन्ध में जांच की थी, जिसके परिणाम बहुत बेढव प्रकार के थे। कुछ प्रकरणों में तो लाभ पाया गया परन्तु कुछ में निरन्तर हानि देखी गई, जो कि असम्भव सी बात थी। अतः एक गणना-रेखा निश्चित करनी पड़ती है। महां यह गणना-रेखा १९३९ के मूल्य-स्तर पर आधारित की गई है। इस विषय में यह पूर्व-धारणा की जाती है कि लगभग प्रत्येक फसल से किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा था।

सरदार लाल सिंह: माननीय मन्त्री ने जो यह कहा है कि यह कुछ मानने वाली बात नहीं कि रूई के कृषकों को कुछ भी लाभ की प्राप्ति न हुई हो। पंजाब के आर्थिक जांच बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कृषक को उतनी आय नहीं होती जो एक भू-श्रमिक को होती है।

श्री सी० डी० देशमुख: हो सकता है जहां तक श्रमिक वर्ग के निर्वाह-व्यय देशनांकों का सम्बन्ध है मैं उनकी ओर केवल चेतावनी के रूप में निर्देश करूंगा। मद्रास के आंकड़े इस प्रकार थे :—

महीना	खाद्यान्न	सामान्य
जनवरी १९४७	३०३	२५१
सितम्बर १९५२	३६०	३३०

अप्रैल से खाद्यान्न का देशनांक ऊंचा चला जा रहा है। विभिन्न महीनों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

महीना	देशनांक
अप्रल १९५२	३४७
मई ,,	३५०
जून ,,	३५४
जुलाई ,,	३५८
सितम्बर,,	३६०

मैं समझता हूं कि अन्ततः जब हम इस प्रश्न पर विचार करना चाहें कि क्या मद्रास का प्रयोग सफल हुआ है अथवा नहीं—चाहे कुछ भी कारण हो, अर्थात् फसलों का रह जाना अथवा पद्धति की असफलता—हमें इन आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अन्तिम कसौटी यही है। इसी प्रकार से हमें मध्यम वर्ग अथवा कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में भी देशनांक जानने चाहियें, जिससे पता चल सके कि क्या प्रभाव रहा है।

मूल्यों पर विचार करते समय और भी अधिक महत्व इस बात का होगा कि आयात के आंकड़ों का भी ध्यान रखना होगा। यदि यह कहा जाता है कि मूल्य ऊंचे थे तो वह इस वर्ष नीचे हैं। इस से हमारी समस्या बहुत कुछ आसान हो जाती है। यदि हम यही निश्चय गत वर्ष ले रहे होते तो सम्भवतः हम इसे बहुत संकटपूर्ण कार्य समझते, क्योंकि तब आयातित गेंहूं का भाव २४ रुपये प्रति मन था, जबकि इस वर्ष १६ रुपये प्रति मन है, जो कि हमारे समाहार-मूल्य के समान है, और इससे बड़ा अन्तर पड़ जाता है।

तीसरा विषय जिस पर हमें विचार करना है वह है हमारी राजकीय सहायता के लिये धन की व्यवस्था कर सकने की क्षमता। इस विषय में मैं आंकड़ों द्वारा यह जतला चुका हूं कि हम इसी प्रक्रिया के कारण बहुत कुछ आय खो चुके हुए हैं। निर्यात-कर के रूप में हम करोड़ों रुपये खो चुके हैं और मुझे सन्देह है कि यह क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। इन सब विषयों को हमें ध्यान में रखना होगा।

मैं ने संसाधनों तथा राजकीय सहायता इत्यादि की चर्चा की हैं। वास्तव में अच्छा होगा यदि हम इस प्रश्न को योजना की क्रियान्विति के प्रश्न के समकक्ष समझें। जिन लोगों न इस योजना का अध्ययन किया है उन्हें

ज्ञात हो चुका होगा कि इस की आधारशिला एक प्रकार का गर्भित नियन्त्रण है। कारण यह है कि एक अविकसित देश होने के कारण हम अपना विनियोग अधिकाधिक बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात् हम इस योजना के आकार विकार में यथासम्भव विस्तार करना चाहते हैं। हम यह समझते हैं कि किसी भी योजना का प्रभाव तत्काल प्रकट नहीं हुआ करता, अवश्य कुछ न कुछ कालान्तर रहता है, और यह कालान्तर जितना भी अधिक होगा उतना ही अधिक आशंका इस बात की रहेगी कि क्रय-शक्ति और आवश्यक उपभोग वस्तुओं के स्कन्ध में असमता उत्पन्न न हो जाय। अतः इसीलिये हमें इस बात की सुव्यवस्था करनी होगी कि आवश्यक उपभोग वस्तुओं का वितरण न्याय आधार पर होता रहे और इसका हम केवल एकमात्र ही साधन निकाल सके हैं और वह है वास्तविक नियन्त्रण। यदि कोई यह कहे कि परिस्थितियों अनुकूल हैं अतः हम ढिलाई से काम ले सकते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि हम आयोजन के सम्बन्ध में अपना पूरा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि पद्धति में ढीलापन है तो हमें और भी अधिक धन इस ओर लगा देना चाहिये और अधिक योजनाओं को उस सीमा तक ले जाना चाहिये जहां नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। अतः यह कहना व्यर्थ है कि एक योजनाबद्ध देश के लिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें विनियन्त्रण आनन्ददायक होगा। निस्सन्देह ऐसा ही होगा परन्तु यह आनन्द की स्थिति बहुत देर तक नहीं चल सकेगी। मुझे प्रायः यह मांगें मिलती रहती हैं कि योजना का विस्तार किया जाय, १०० करोड़ रुपये तक, और कुछ ऐसे लोग भी हैं—यद्यपि थोड़े से ही हैं—जो यह कहते हैं कि हम विनियन्त्रण का भूत हर समय हमारे सिर पर सवार रहते हुए भी योजना को चला सकते हैं। यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं और सरकार इस बात को जान चुकी है और मुझे आशा है कि अधिकांश सदस्य भी जान जायेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना होगा कि विभिन्न कारक क्या हैं। कई एक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने आवश्यक हैं। क्या नियन्त्रण का खाद्यान्न के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है? कुछ ठीक कहा नहीं जा सकता। कठिनाई तो इस बात की है कि हम अपने ही आंकड़ों के विषय में एक मत नहीं हैं। कुछ महीने पहले तक मेरी यह धारणा थी कि आई० सी० ए० आर० के आंकड़े सर्वोत्तम हैं, परन्तु अब मुझे कहना पड़ता है कि एक सांख्यिक के मतानुसार वह सब आगणन यथार्थ से नीचे रहता है, बहुत अधिक नीचे रहता है। परन्तु मैं आई० सी० ए० आर० के आंकड़ों को ही अपने तर्क का आधार मानता हूं :

सभी खाद्यान्न :	दस लाख टन
१९४९–५०	४५.५
१९५०–५१	४४.२
१९५१–५२	४४.४
चावल :	
१९४९–५०	२२.९
१९५०–५१	२२.०
१९५१–५२	२२.८
बाजरा :	
१९४९–५०	१६.१
१९५०–५१	१५.५
१९५१–५२	१५.४

इन आंकड़ों से कुछ विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती। यदि समाचारों से अनुमान लगाया जाय तो इस वर्ष गत वर्षों से बहुत अधिक अकाल की स्थिति है। अन्यथा मैं नहीं समझता कि इनसे यह बात सिद्ध होती है कि नियन्त्रण का उत्पादन पर किसी प्रकार का भी प्रभाव पड़ता है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

अगला प्रश्न है : क्या उत्तरीय तथा दक्षिणीय क्षेत्रों में कोई अन्तर है ? इस विषय में भी मैं ने सामान्य आंकड़े लिये हैं और मेरा निष्कर्ष यह है कि कुछ ऐसा अन्तर नहीं है । बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, यू० पी०, मध्य भारत तथा उड़ीसा को उत्तर मानते हुए यह आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

१९४९–५०	२ करोड़ ३२ लाख टन
१९५०–५१	२ करोड़ १८ ,, ,,
१९५१–५२	२ करोड़ २० ,, ,,

दक्षिण में अपेक्षाकृत कुछ कमी है, अर्थात् बम्बई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर-कोचीन।

१९४९–५०	१ करोड़ ३६ लाख टन
१९५०–५१	१ करोड़ ३२ ,, ,,
१९५१–५२	१ करोड़ २९ ,, ,,

इस विषय में भी हमें याद रखना चाहिये कि दक्षिण में अभाव-ग्रस्त क्षेत्र रह चुके हैं और कुछ और भी अब इस श्रेणी में आ रहे हैं। अतः मेरे विचार से तो यह बात भी सिद्ध नहीं हुई । मैंने उत्पादन के आंकड़े भी देखे हैं और मैं नहीं मानता कि समाहार पद्धति में ढिलाई अथवा सख्ती का उत्पादन पर कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है । पंजाब की स्थिति इस विषय में अत्युत्तम है और वहां समाहार पद्धति चल रही है यद्यपि वह कुछ ऐसी दक्ष पद्धति नहीं है ।

तीसरा प्रश्न है: क्या मूल्य-वृद्धि से उत्पादन बढ़ जाएगा ? इस विषय में आर्थिक इतिहास के अध्ययन से हमें जान पड़ता है कि कृषि के सम्पूर्ण क्षेत्र में मूल्यों और उत्पादन में कोई स्थाई सम्बन्ध नहीं है। यह तो ठीक है कि किसी एक विशेष फसल को प्रोत्साहन देने से उत्पादन बढाया जा सकता है और जितनी ही छोटी फसल होगी उतनी ही इस विधि का प्रभाव अधिक होगा। गन्ने अथवा पटसन का ही उदाहरण लीजिये। विनियन्त्रण के पश्चात् मूल्य १०० रुपये तक पहुंच गए और इसके फलस्वरूप क्षेत्र भी बढ़ गया। मैं नहीं समझता कि उस सभी वृद्धि को उत्पादन कहा जा सकता है परन्तु कुछ भी हो इसे ऐसा समझा गया। और इस वर्ष मूल्य २५ रुपये है । इससे भी नीचे जा सकता है । इससे एक विषय और उत्पन्न होता है । जिस मूल्य को हम तेज़ी के समय समाहार मूल्य कहते हैं मन्दी के समय वह न्यूनतम मूल्य कहलाता है । श्री लालसिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क में कुछ बल प्रतीत होता है । उन्होंने कहा है कि या तो कृषक को उसके हाल पर छोड़ दिया जाय और मूल्यों का निर्धारण मांग और प्रदाय के आधार पर होने दिया जाय और या न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाकर उसे स्थिर रखा जाय। मैं समझता हूं कि हमें दोनों प्रकार के मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, उच्चतम भी और न्यूनतम भी। इससे स्थिति लाई जा सकती है। यदि कोई मोटा अनाज लेकर आता है तो हमें उसको खरीदने के लिये तय्यार रहना चाहिए और उसे यह नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे चालान के पैसे मिलने में चार महीने लग जायेंगे । उसे तुरन्त भुगतान होना चाहिये ।

श्री किदवई : यह शिकायत तो चलती ही रहेगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : राज्य-व्यापार में राजस्व का संरक्षण करने के बहाने हमें कृषक के लिए कठिनाई खड़ी नहीं करनी चाहिए। यह कहना भी कुछ ठीक नहीं है कि हमारे पास स्टोर करने का उचित प्रबन्ध नहीं है । कृषक को इससे क्या ? भण्डार की व्यवस्था करना आपका काम है । यदि यह व्यवस्था ठीक नहीं है तो इसके परिणाम घातक सिद्ध हो सकते हैं।

मैं समझता हूं कि दो फसलों के बीच न्याययुक्त न्यूनतम मूल्यों का होना परमावश्यक है। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो उत्पादन करना चाहता है मूल्य-वृद्धि प्रदान की जाय। यह एक संकटपूर्ण सिद्धान्त है। सम्भवतः इस बात पर विचार नहीं किया गया कि भारतीय अर्थ व्यवस्था की क्या दशा होगी यदि हम ऐसा करने लगेंगे। कोई एक वर्ष या छः महीने तक तो सभी प्रसन्न रहेंगे परन्तु उसके पश्चात् सभी दुखी हो जायेंगे। हम अपने आयात निर्यात को स्थिर नहीं रख सकेंगे और न जाने इस देश की क्या दशा होगी।

श्री तुलसीदास : मैं तो केवल यह कह रहा था कि एक न्यूनतम मूल्य होना चाहिये और इसे आपने मान ही लिया है।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो मैं माननीय सदस्य के कहने से पूर्व ही मान चुका हुआ हूं। रूई के सम्बन्ध में गत चार पांच वर्ष से न्यूनतम मूल्य चला आ रहा है। गत फसल के समय मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं प्रत्येक गांठ खरीदने को तय्यार हूं परन्तु किसी ने इस घोषणा से फायदा न उठाया। हां, न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए, यह झगड़ा अवश्य चला था, कि ४५० हो, या ५०० या ६००। मैं नहीं समझता कि मूल्य वृद्धि का आवश्यक परिणाम कृषि-उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र में उत्पाद-वृद्धि के रूप में होगा। एक निश्चित न्यूनतम मूल्य उपभोक्ता और कृषक दोनों के दृष्टिकोण से अति वांछनीय चीज़ है।

अगला प्रश्न है: "क्या हमारी खाद्य सम्बन्धी हीनता कम हो गई है?" मैंने आनुषंगिक रूप से इसकी ओर निर्देश किया है। हमारे सांख्यिक के मतानुसार हमारा उत्पादन और हमारी खपत दोनों में वृद्धि हुई है, अर्थात् हमने आंकड़ों द्वारा अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है जो पांच वर्ष के आयोजन द्वारा न हो सकती थी।

यदि हम अपने आयात को कम करने के लिये प्रयत्न करना चाहते हैं तो हम अपने इस उद्देश्य में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारी यह धारणा बनी रहे कि हम सम्भवतः कुछ अधिक अन्य उपजा रहे हैं, परन्तु कुछ अधिक खपा भी रहे हैं, अतः कुछ मितव्ययिता से काम लिया जा सकता है। अतः योजना आयोग द्वारा निर्धारित नीति ही ठीक नीति है, अर्थात् यह कि आगामी ३॥ वर्षों में हमें यह आयात बन्द कर देना चाहियें। यदि यह अगले ही वर्ष हो सके तो मुझे विशेषतः प्रसन्नता होगी क्योंकि मुझे इसके लिये विनिमय की व्यवस्था करनी होती है। मैं समझता हूं कि लगभग ६२५ लाख टन की मांग है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना होगा कि हम इस वर्ष क्या करेंगे। मैं समझता हूं कि नियन्त्रण तथा समाहार की विशेष पद्धतियों इत्यादि के सम्बन्ध में हमारे विचारों में गतिरोध नहीं आना चाहिए। उन्हें एक ही रेखा पर चलाए जाना वांछनीय नहीं है। इस वर्ष की परिस्थितियों को देखते हुए हमें कोई नवीन पद्धति निकालनी चाहिए। इस समय सर्वत्र मन्दा हो रहा है। यह किसी हद तक हमारे मुद्रा अपस्फीति सम्बन्धी उपायों का परिणाम है। हमने अपन बीस लाख टन गेंहूं के स्टाक को बेचा तो उससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। यह एक दुधारा शस्त्र है। हमें स्टाक भी मिल गया और धन की प्राप्ति भी हो गई। हमें इसे बेचने से अपने विकास कार्यों के लिये धन की प्राप्ति हो गई। यूं कहिये कि एक पंथ तीन काज। आज हम इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टाक हाथ में है जिन की सहायता से हम इस प्रकार की चाल चल सकते हैं। कुछ यह भी है कि आसंचय करने वाले को भी समझ आ

[श्री सी० डी० देशमुख]

रही है और वह अपना स्कन्ध बाज़ार में ला रहा है। उधर हमारे तीन जहाज़ प्रतिदिन अनाज ला रहे हैं। कभी कभी तो हमारे पास उसको रखने के लिये स्थान नहीं होता। उदाहरणतः मद्रास में हमारे पास चार लाख टन चावल मौजूद था जो १५ अथवा १२ दिन के लिये राशन वाले क्षेत्रों के लिये पर्याप्त था। केवल दो जिलों में हीनता का प्रकोप था, अर्थात् मालाबार और नीलगिरीज़। उन लोगों ने कहा कि वह काम चला लेंगे और तभी यह प्रयोग वहां चलाया गया। यह प्रयोग सफल होगा अथवा नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक इस मानसून में मद्रास के उत्पादन को न देख लिया जाय। उसकी सफलता का यह अर्थ होना ज़रूरी नहीं कि यही प्रयोग अन्य राज्यों में भी दुहराया जाय, क्योंकि ऐसा करने से केन्द्र पर अत्यधिक उत्तरदायित्व का भार पड़ता है। इस उत्तरदायित्व की पूर्ति केवल दो प्रकार से हो सकती है, अर्थात् समाहार और आयात। आयात के तो हम पक्ष में नहीं हैं। अतः समाहार ही हो सकता है। इसका उपाय यह है कि समाहार सम्बन्धी आवश्यक यन्त्र को बना रहने दिया जाय और यदि हमारी स्थिति किसी समय बिगड़ती जान पड़े तो हम इसे काम में ला सकते हैं। किसी प्रकार की पद्धति तो अवश्य रहनी ही चाहिये अतः इसीलिए हमने राज्यों की रुकावटें अभी दूर नहीं की हैं, सिवाए चने आदि के। हमने चार पांच बार इस पर नियन्त्रण किया है और हटाया है। बाजरे के सम्बन्ध में स्थिति कुछ और प्रकार की है क्योंकि यह हमारे कुल उत्पाद का एक तिहाई है, अतः उसके पर्याप्त अथवा अपर्याप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मनिर्भरता की भावना का आधार इस बात पर होता है कि कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। परन्तु ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी कमी आ जाती है जिसका खयाल तक नहीं होता और जब खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान को अबाध रीति से जा सकता हो तो यह कमी अकाल का रूप धारण कर सकती है जैसा कि बंगाल में १९४३ में हुआ। बंगाल में सांख्यिकों ने अनुमान लगाया है कि प्रारम्भ में चावल की कमी केवल छः प्रतिशत थी, परन्तु जैसे ही पता चला कि अभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह बढ़ेगी और यह अभाव यहां तक बढ़ा कि जीवन-निर्वाह कठिन हो गया। इस प्रकार की घटना कहीं भी हो सकती है। अतः एक आत्म-निर्भर क्षेत्र सदैव विश्वास के साथ विनियन्त्रण की नीति को नहीं अपना सकता। यही हाल एक देश का होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि किसी प्रकार के युक्तिमूलक नियन्त्रण का होना आवश्यक है। इसके साथ ही उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्य होना चाहिये जिस से स्कन्ध रखा जा सके जो सहारे का काम दे सके। हम इस प्रकार की पद्धति चाहते हैं और इसी का सुझाव एफ० ए० ओ० तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा दिया गया है। उनकी प्रस्थापना इस प्रकार की है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय स्कन्ध होना चाहिए। यह विषय है जिनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता था।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम): माननीय मन्त्री ने बंगाल के दुर्भिक्ष का उल्लेख किया है। मैं कुछ एक तथ्यों का शोधन कर देना चाहता हूं। बंगाल के दुर्भिक्ष का कारण यह था कि कुछ एक क्षेत्रों में खाद्यान्न इस डर के कारण हटा दिया गया था कि कहीं जापानी उन पर अधिकार न कर लें।

श्री सी० डी० देशमुख: यह एक अतिरिक्त कारण था।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : वित्त मन्त्री ने खाद्य नीति की जो व्याख्या की है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ शंकाएं हैं। मेरे एक सहयोगी द्वारा एक प्रश्न उठाया गया है कि राशन की दुकानों से इतना कम माल क्यों उठाया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि होने से कई एक उपभोक्ता अपना पूर्ण अभ्यंश नहीं उठाते कई। स्थानों पर कुछ लोग एक विशेष प्रकार के खाद्यान्न को खाना पसन्द नहीं करते अत: उसे लेते ही नहीं।

वित्त मन्त्री द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि हमें आयोजन की नीति को अपनाना है तो हमें किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना ही होगा। परन्तु यह नियन्त्रण किस प्रकार का होना चाहिये ? गत दस वर्षों से हम वितरण नियन्त्रण देखते आ रहे हैं। ऐसे नियन्त्रण में बहुत से दोष होते हैं। यह विशेष नियन्त्रण पद्धति अब पुरानी और निकम्मी हो चुकी है और उसमें कुरीतियों और भ्रष्टाचार का समावेश हो चुका है। विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप तीन चार वर्षों में हमारे देश की कृषि में एक महान् क्रान्ति आने वाली है, अत: हमें ऐसा नियन्त्रण लागू करना चाहिये जिससे हम अधिक स्वतन्त्र हो सकें और हमारा उत्पादन भी बढ़ सके। हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाय। तत्काल विधि यन्त्रण का एक दुष्परिणाम जो वित्त मन्त्री द्वारा बतलाया गया है वह मूल्यों में असमान्य वृद्धि के रूप में होगा। मद्रास में यही देखने में आया है। विनियन्त्रण का कार्य बहुत कुछ आसान हो सके यदि आयातित खाद्यान्न तथा देशीय खाद्यान्न के मूल्यों में समानता हो। अब हमें करना यह है कि आन्तरिक समाहार की प्रणाली को और अधिक कड़ी बनाना है, जिससे हम संकटकाल के लिये स्कन्धों का संग्रह कर सकें और उनकी सहायता से विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों का नियन्त्रण कर सकें।

खाद्य मन्त्री ने बाजरे का विनियन्त्रण करने का जो निश्चय किया है वह बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है।

श्री नन्दा : बाजरे के विनियन्त्रण का कोई निश्चय नहीं किया गया है।

डा० कृष्णस्वामी : तो फिर बाजरे के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

श्री नन्दा : इस निश्चय का अभिप्राय बाजरे के नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाना है।

डा० कृष्णस्वामी : इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।

श्री नन्दा : जैसा कि माननीय खाद्य मन्त्री द्वारा बतलाया गया है स्थिति इस प्रकार है कि अन्तर्राज्यीय रुकावटें चलती रहेंगी। अब ऐसे उपबन्ध किये गए हैं जिनके द्वारा हीन राज्य आधिक्य वाले राज्य से अपनी अपेक्षाओं की प्राप्ति, राज्यिक स्तर पर, अधिक प्रभावी रीति से कर सकेंगे।

डा० कृष्णस्वामी : इस स्पष्टीकरण से स्थिति और भी अधिक जटिल हो गई है। एक बात तो निश्चित है कि हम बाजरा तो विदेशों से मंगा ही नहीं रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : हम कितना ही मीलों मंगा चुके हैं जो एक प्रकार का बाजरा ही है।

डा० कृष्णस्वामी : मेरा अभिप्राय मोटे बाजरे से है।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मीलो एक प्रकार का गहरा लाल मोटा बाजरा है, रागी, ज्वार और मक्का की प्रकार का।

डा० कृष्णस्वामी : मेरा अभिप्राय उस मोटे बाजरे से है जो हमारे देश में उत्पन्न होता है और जो थोड़ी आय वाले लोगों का

[डा० कृष्णस्वामी]

खाना है। किसी विशेष क्षेत्र में इसका विनियन्त्रण हो सकता है परन्तु वहां भी आकस्मिक संकटकाल के लिए स्कन्ध की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि कई लोगों को आसंचय की आदत हो गई है जिससे उन्हीं लोगों को कष्ट होता है जिनकी सहायता करना हमारा उद्देश्य है।

परन्तु सरकार की स्थाई नीति क्या होनी चाहिये ? मैं माननीय वित्त मन्त्री की इस धारणा से सहमत हूं कि हमें अपने देश की समृद्धि के हेतु योजनायें बनानी चाहियें। परन्तु मैं उनसे और सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम भिन्न प्रकार की नियन्त्रण पद्धति की व्यवस्था नहीं कर सकते। हमें वितरण नियन्त्रण के स्थान पर उत्पादन नियन्त्रण की व्यवस्था करनी चाहिये। इससे उत्पादक को प्रोत्साहन मिलेगा। वितरण नियन्त्रण को हम दस साल तक आज़मा चुके हैं, अब हमें दूसरी प्रकार का प्रयोग करना चाहिये।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : इतनी लम्बी चर्चा के पश्चात् मैं सामान्य नीतियों पर चर्चा नहीं करूंगा, अपितु केवल कुछ एक ऐसे विषयों का ही उल्लेख करूंगा जिनको छेड़ा नहीं गया है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५२, के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।